श्रम संगम

वर्ष: 11, अंक: 1

जनवरी-जून 2025

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित जर्नल

लेबर एंड डेवलपमेंट

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है, और यह सैद्धांतिक विश्लेषण एवं आनुभविक अन्वेषण के जरिए श्रम के विभिन्न मुद्दों का प्रसार करने के लिए समर्पित है। इस पत्रिका में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक मुद्दों के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर बल देते हुए श्रम एवं संबंधित विषयों के क्षेत्र में उच्च शैक्षिक गुणवत्ता वाले लेखों का प्रकाशन किया जाता है। साथ ही, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में उन लेखों पर अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षाओं का भी इसमें प्रकाशन किया जाता है।

अवार्ड्स डाइजेस्टः श्रम विधान का जर्नल

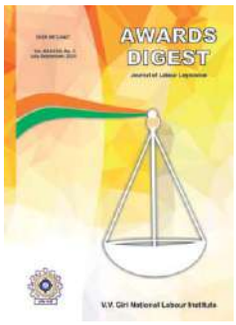

अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अद्यतन मामला विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस जर्नल में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरणों तथा केंद्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरणों द्वारा श्रम मामलों के बारे में दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें श्रमकानूनों से संबंधित लेख, उनमें किए गए संशोधन, अन्य संगत सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों, श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षिक संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और श्रम कानून के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

श्रम विधान तिमाही हिन्दी पत्रिका है। श्रम कानूनों और उनमें समय–समय पर होने वाले बदलावों की जानकारी को आधारिक स्तर (Grass Roots Level) तक सरल और सुबोध भाषा में पहुंचाने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए अधिनियमित मौजूदा कानूनों की सुसंगत जानकारी, उनमें होने वाले संशोधनों, श्रम तथा इससे संबद्ध विषयों पर मौलिक एवं अनूदित लेख, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन के साथ–साथ श्रम से संबंधित मामलों पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा केंद्रीय प्रशासनीक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए फैसलों को सार के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

चंदे की दरः लेबर एंड डेवलपमेंट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 150 रुपए तथा संस्थानों के लिए 250 रुपए है। अवार्ड्स डाइजेस्ट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। श्रम विधान पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। चंदे की दर प्रति कैलेण्डर वर्ष (जनवरी–दिसम्बर) है। ग्राहक प्रोफार्मा संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in पर उपलब्ध है। ग्राहक प्रोफार्मा पूरी तरह भरकर डिमांड ड्राफ्ट सहित जो वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पक्ष में एवं दिल्ली/नौएडा में देय हो, इस पते पर भेजेः

प्रकाशन प्रभारी
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा–201301, उत्तर प्रदेश

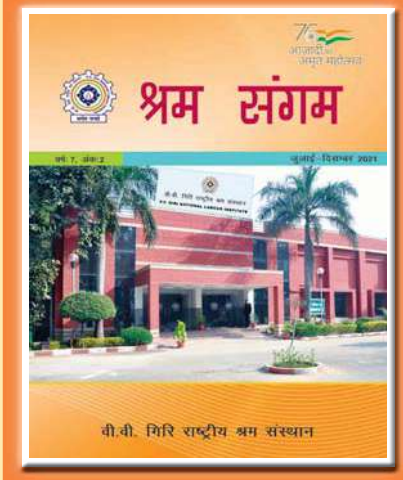

संरक्षक
डॉ. अरविंद
महानिदेशक

संपादक मंडल
डॉ. संजय उपाध्याय
वरिष्ठ फेलो

डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
फेलो

श्री बीरेन्द्र सिंह रावत
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर-24, नौएडा-201301
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की मौलिकता का दायित्व स्वयं लेखकों का है तथा पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तरदायी नहीं है।

मुद्रणः चन्दु प्रेस
डी-97, शकरपुर
दिल्ली-110092

श्रम संगम

वर्षः 11, अंकः 1, जनवरी-जून 2025

अनुक्रमणिका

❍	महानिदेशक की कलम से	ii
❍	समावेशी विकास के 11 वर्षः समर्थ, सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत – राजेश कुमार कर्ण	1
❍	उल्लसित करते 'उल्लास' के परिणाम – बीरेन्द्र सिंह रावत	10
❍	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के तत्वावधान में आयोजित राजभाषा प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत संस्थान के कर्मचारी	16
❍	पिता की वेदना (लघु कथा)	17
❍	जिंदगी तो नाम है बस चलने का (कविता) – निधि अग्रवाल	18
❍	ऑपरेशन सिंदूरः आतंकवाद को जड़ से खत्म करने लिए प्रतिबद्ध भारत – राजेश कुमार कर्ण	19
❍	महान संत कबीरदास के दोहों की प्रासंगिकता – गीता अरोड़ा	28
❍	एक ख्वाहिश (कविता) – दिनेश बोस	30
❍	इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर (कहानी) – हरिशंकर परसाई	31
❍	स्वदेशी एवं आत्मनिर्भरता का उद्घोष – राजेश कुमार कर्ण	36
❍	प्रेरक प्रसंगः दिव्यांगों को राह दिखाती दार्जिलिंग की एक बेटी	44
❍	मेरा भी है अधिकार (कविता) – बीरेन्द्र सिंह रावत	46

महानिदेशक की कलम से...

भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। बहुसंख्यक भारतीयों की भाषा होने के कारण राजभाषा हिंदी, जनता और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अतः, यह हम सबका संवैधानिक दायित्व है कि हम व्यावहारिक विकल्पों के माध्यम से इसके प्रचार–प्रसार में सतत प्रयत्नशील रहें। वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में सभी संकाय सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी अपने–अपने कार्यक्षेत्र में राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन करके अपने इस संवैधानिक दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह कर रहे हैं।

राजभाषा नीति के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के मूल उद्देश्यों के अनुसरण में वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के सदस्य कार्यालयों के कार्मिकों को अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष एक हिन्दी प्रतियोगिता अथवा कार्यशाला अथवा संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। अब तक, नराकास (कार्यालय), नौएडा के सदस्य कार्यालयों के 482 कार्मिकों ने इन प्रतियोगिताओं/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का लाभ उठाया है। साथ ही, संस्थान द्वारा वर्ष 2015 से अपनी छमाही राजभाषा गृह पत्रिका 'श्रम संगम' का प्रकाशन भी नियमित तौर पर किया जा रहा है।

'श्रम संगम' पत्रिका अनवरत इसी प्रकार आकर्षक रूप में हमारे बीच आती रहे तथा हिंदी के प्रचार–प्रसार में सदैव सफलता प्राप्त करे, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

(डॉ. अरविंद)

समावेशी विकास के 11 वर्षः समर्थ, सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत

राजेश कुमार कर्ण*

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे हुए हैं। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भारत की बागडोर संभाली, तब देश एक अहम मोड़ पर खड़ा था। एक ऐसा देश, जहां आकांक्षाएं तो थीं, पर उनके पूरे होने की दिशा स्पष्ट न थी। मगर बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस दिशा और गति से विकास की यात्रा तय की है, वह आज 'न्यू इंडिया' के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ठीक ही लिखा है कि बीते 11 वर्षों की ओर मुड़कर देखें तो राष्ट्रीय पुनर्जागरण की जीवंत तस्वीर स्पष्ट दिखती है। आज का भारत आत्मविश्वास से भरा, आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर और वैश्विक मंचों पर अपनी स्पष्ट आवाज रखने वाला राष्ट्र है।

इस बदलाव की शुरुआत गरीबों के जीवन–स्तर को सुधारने से हुई। आजादी के छह दशकों के बाद भी विशाल संख्या में भारतवासी घर, शौचालय, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे। इस दिशा में पहल करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना व स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर और शौचालय बनाकर दिए गए। उज्ज्वला योजना के माध्यम से निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई गई, जबकि आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजना ने गरीबों को पांच लाख रुपये तक की बीमा सुरक्षा देकर उन्हें आर्थिक आपदा से बचाया। हर घर जल अभियान के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया।

ये योजनाएं कागजी नहीं थीं, बल्कि जमीनी हकीकत में तब्दील होकर ये आम जनजीवन को बदल चुकी हैं। जन–धन योजना के माध्यम से आजादी के बाद पहली बार करोड़ों भारतीयों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया, जिससे देश में आर्थिक समावेशन को मजबूती मिली है। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी भारत ने ऐतिहासिक प्रगति की है। जिन गांवों में कभी बिजली और पक्की सड़कें एक सपना हुआ करती थीं, वहां अब सोलर लाइटें जलती हैं। दूर–दराज के गांवों की राष्ट्रीय राजमार्गों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा चुकी है। स्मार्ट सिटी मिशन और मेट्रो परियोजनाओं ने शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है।

भारत की यह विकास यात्रा डिजिटल रूप से भी क्रांतिकारी रही है। डिजिटल इंडिया अभियान ने देश को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया और यूपीआई ने तो भारत को दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल लेन–देन करने वाला देश बना दिया है। आधार, मोबाइल और जन–धन की 'त्रिमूर्ति' ने 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' को सहज बनाते हुए भ्रष्टाचार व बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त कर दी। इसी तरह, महिला सशक्तिकरण मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में रहा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर मातृत्व अवकाश में वृद्धि और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे कार्यक्रमों ने महिलाओं और बेटियों को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त किया है। भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन जैसी पहल ने साबित किया है कि सरकार के लिए महिला सशक्तिकरण केवल नारा नहीं, बल्कि नीति और नीयत, दोनों का हिस्सा बन चुका है।

कृषि प्रधान देश होने के बावजूद हमारा कृषि क्षेत्र लंबे समय तक उपेक्षित रहा, मगर बीते एक दशक में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। आज पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के हर छोटे किसान को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जा रही है। फसल बीमा योजना, ई–नाम पोर्टल, माइक्रो सिंचाई योजनाओं और ड्रोन टेक्नोलॉजी के प्रयोग ने कृषि को सिर्फ उपज की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आय के स्रोत के रूप में भी मजबूत किया है। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी कई ऐतिहासिक पहल की गईं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में गुणात्मक परिवर्तन आए हैं। स्किल इंडिया के अंतर्गत लाखों युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे युवा अब नौकरी मांगने वाले नहीं, देने वाले बन रहे हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने कोविड–19 महामारी के दौरान जो साहसिक और तेज निर्णय लिए, वे पूरी दुनिया

*आशुलिपि सहायक ग्रेड – I, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

में सराहे गए। स्वदेशी वैक्सीन बनाने और कोविन पोर्टल का सफल संचालन दर्शाता है कि भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, तकनीक व विज्ञान के क्षेत्र में उत्पादक, निर्माता देश भी है। प्रधानमंत्री मोदी की 'लोकल को ग्लोबल' बनाने की दूरदर्शी सोच ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से घरेलू उद्योगों एवं नवाचारों को वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में उतरने की शक्ति दी है। भारत आज तीसरा सबसे बड़ा 'स्टार्टअप इकोसिस्टम' बन चुका है।

एक ओर, जहां आर्थिक और तकनीकी विकास हुआ, वहीं सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण ने भी समाज में नई चेतना पैदा की है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और केदारनाथ पुनर्निर्माण जैसे प्रकल्पों ने सांस्कृतिक आस्था को सम्मान और भव्यता, दोनों दिए हैं। योग दिवस को वैश्विक मान्यता दिलाकर भारत ने पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन से जोड़ने का भी कार्य किया है। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन ने समाज में जागरूकता की नई क्रांति पैदा की। भारत अब सौर ऊर्जा व इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी हमने पहली बार 'फॉलोवर' से 'लीडर' की भूमिका निभाई है। जी–20 की अध्यक्षता, वैक्सीन मैत्री, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, 'वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ' जैसे प्रयासों ने भारत को विकासशील देशों का नेतृत्वकर्ता बना दिया है। भारत अब संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता की दिशा में गंभीर दावेदारी कर रहा है।

2014 के बाद भारत की विदेश नीति ने एक बड़ा बदलाव देखा है। पहले की तुलना में अब भारत की नीति कहीं अधिक सक्रिय, आत्मविश्वासी और रणनीतिक हो गई है। "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के सिद्धांतों के आधार पर भारत की कूटनीति अब अधिक समावेशी, विकास–प्रधान और राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित हो गई है। भारत की विदेश नीति में 'पड़ोसी पहले' दृष्टिकोण को प्रमुखता दी गई है, जिससे नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित हुए हैं। इसके साथ ही 'एक्ट ईस्ट', 'थिंक वेस्ट' और 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीतियों के जरिए भारत ने अपने विस्तारित पड़ोस से भी गहरे रिश्ते बनाए हैं। 'सागर' विजन के तहत भारत ने समुद्री सुरक्षा और सहयोग पर भी विशेष ध्यान दिया है। भारत ने आपातकालीन स्थितियों में 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' के रूप में वैश्विक पहचान बनाई है। विदेश मंत्रालय में रैपिड रिस्पॉन्स सेल की स्थापना के बाद आपदा प्रबंधन में मजबूती आई है। हाल के वर्षों में भारत ने ऑपरेशन दोस्त (2023), ऑपरेशन गंगा (2022), ऑपरेशन देवी शक्ति (2021), और मिशन सागर (2020) जैसे मानवीय राहत कार्य किए हैं। इसके अलावा भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय पहलों की शुरुआत की है जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपदा–रोधी ढांचे के लिए गठबंधन और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली के लिए 'लाइफ मिशन'। इन पहलों से जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और सतत विकास जैसे वैश्विक मुद्दों पर भारत की नेतृत्वकर्ता की भूमिका साबित हुई है। साल 2023 में भारत की जी 20 अध्यक्षता कूटनीतिक रूप से निर्णायक रहा। "वसुधैव कुटुंबकम" (एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य) थीम ने वैश्विक समुदाय को भारत के दृष्टिकोण से जोड़ने का कार्य किया। भारत ने अफ्रीकी संघ को जी 20 का पूर्ण सदस्य बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति अब एक सकारात्मक, सशक्त और परिवर्तनकारी ताकत बन चुकी है। क्षेत्रीय सहयोग से लेकर स्वदेशी रक्षा निर्माण, मानवीय सहायता, अंतरराष्ट्रीय पहलों और वैश्विक मंचों पर सक्रिय भागीदारी तक, भारत ने खुद को एक जिम्मेदार और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है।

नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता उसकी राजनीतिक इच्छाशक्ति रही है, चाहे वह अनुच्छेद–370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय हो, तीन तलाक जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करना हो या एक देश–एक कर जैसी जटिल, मगर आवश्यक व्यवस्था को लागू करना हो। पारदर्शी शासन और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर देश में 'अंत्योदय' को व्यावहारिक रूप दिया गया है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल, इलेट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ठीक ही लिखा है कि नया भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की प्रगति अब सिर्फ जीडीपी जैसे आंकड़ों से तय नहीं होती। बल्कि आम लोगों को सम्मान से जीने और आगे बढ़ने के मिले अवसरों से भी होती है। पहले विकास को आंकड़ों में मापा जाता था। अब इसे जिंदगी में आए बदलाव से। एक गृहिणी जो अब दूसरों को रोजगार दे रही है। एक किसान जो खेती में एआई का इस्तेमाल करता है। एक

मां जिसकी रसोई अब धुएं से नहीं भरती। यह बदलाव मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व की बदौलत संभव हुआ है जो हर नागरिक को सशक्त बनाने में विश्वास रखता है। शुरू से ही अंत्योदय–यानी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति का उत्थान–उनकी प्रेरणा रहा है। पिछले 11 वर्ष में उनकी हर नीति, हर निवेश और हर नवाचार इसी सोच पर आधारित रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचलित यह सोच चार स्तंभों पर आधारित है। पहला, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो देश को जोड़े। दूसरा, ऐसा विकास जो सबको साथ लेकर चले। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग जो लोगों को रोजगार दे। चौथा, सरकारी कामकाज को इतना आसान बनाना कि आम आदमी को ताकत मिले।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने ठीक ही लिखा है कि विगत 11 वर्षों का यदि ट्रैक रेकॉर्ड देखा जाए, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिये वंचित वर्ग की अस्मिता और स्वाभिमान को सुदृढ़ किया है। पिछड़ा, दलित और आदिवासी अस्मिता की इस नीति का ध्येय वाक्य है 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।' संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने जिस भारत का सपना देखा था, उसे यह सरकार पूरा कर रही है। जातिगत जनगणना का निर्णय पिछड़ा, दलित और आदिवासियों के अधिकार और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पिछले 11 वर्षों में, मुख्य रूप से उपेक्षित और ग्रामीण पृष्ठभूमि से 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों में शामिल हुई हैं। लखपति दीदी कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक 1.25 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है और आर्थिक कार्यक्रमों के माध्यम से तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। नमो ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाने वाली ड्रोन चलाने वाली महिलाओं ने महिलाओं के बारे में समुदाय की धारणा बदल दी है। मोदी सरकार के स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत बैंक की प्रत्येक ब्रांच अपने क्षेत्र के एक दलित, एक महिला और एक आदिवासी को लोन देगी। इसके तहत 2.5 लाख दलित उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सामाजिक न्याय हमारी सरकार के लिए सिर्फ कहने–सुनने की बात नहीं, बल्कि एक प्रतिबद्धता है, हमारी श्रद्धा है। इसी को पूरा करते हुए उन्होंने 2020 के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एससी एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। 2014 में आरंभ किए गए प्रधानमंत्री

वनबंधु कल्याण योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके तहत जनजातीय आबादी की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारते हुए उनके सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी ढांचे और संचार समेत 14 क्षेत्र निर्धारित किए गए। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना की स्थापना की गई है। वर्ष 2026 तक देश भर में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य है।

2025.26 के बजट में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का विस्तार करते हुए इसे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अन्तर्गत शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार में बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करना है। मोदी सरकार ने बाबा साहब से जुड़े पंचतीर्थों– जन्मस्थान महू, दीक्षा स्थल नागपुर, चौतन्य भूमि इंदु मिल मुंबई, शिक्षा भूमि लंदन और. महापरिनिर्वाण स्थल दिल्ली में स्मारकों के निर्माण व जीर्णोद्धार की पहल की।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि केवल राजनीतिक समानता पर्याप्त नहीं होगी। यदि राज्य सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित नहीं करता तो भारत का लोकतंत्र संकट में पड़ जाएगा। इस संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत व्यापक मार्गदर्शन प्रस्तुत किया और मौलिक अधिकारों के उलट संविधान के इस हिस्से को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर भी रखा। स्पष्ट है कि सरकारों से नीति निर्देशक तत्वों के अनुपालन की अपेक्षा की गई और उन्होंने इस राह पर चलने का प्रयास भी किया, लेकिन इस मोर्चे पर 2014 के बाद आई तेजी बिल्कुल साफ दिखती है। सरकार की नीतियों, लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में बहुत अलग हैं। सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारत के राष्ट्र निर्माताओं के सपनों को साकार करने की दिशा में वे बहुत आगे निकल गए हैं। लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मामलों

के जानकार ए. सूर्यप्रकाश के अनुसार सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और जीवन में सुगमता सुनिश्चित करने में मोदी सरकार सबसे आगे है।

मोदी सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं। जैसे 2015 में शुरू की गई पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2.62 करोड़ घर बनाए गए। 2016 में शुरू की गई सब्सिडी वाली घरेलू गैस कनेक्शन की पीएम उज्ज्वला योजना ने 10.33 करोड़ घरों को कवर किया। नल के जरिये जल वाली योजना 2019 में शुरू हुई और जल जीवन मिशन ने 15.60 करोड़ घरों को कवर किया। शौचालय निर्माण के लिए 11 करोड़ घरों को सुविधा उपलब्ध कराई गई। पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा भी इन पहलों में शामिल हैं। यह सब नागरिकों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने से जुड़ी प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। जनकल्याणकारी योजनाओं की चर्चा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का उल्लेख किए बिना अधूरी रहेगी। मोदी सरकार ने 2028 तक हर महीने 81 करोड़ लोगों तक भोजन प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के न रहे। यह योजना अनुच्छेद 47 के निर्देश के अनुरूप ही है, जिसमें उल्लेख है कि राज्य का प्राथमिक कर्तव्य लोगों के पोषण एवं जीवन स्तर को बढ़ाना है।

अन्य योजनाओं की तरह पीएम किसान सम्मान योजना भी 11 करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। इसके जरिय किसानों को आवश्यक मौद्रिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आधार के जरिये इसमें किसी तरह का कोई रिसाव नहीं है और राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचती है। नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ी संकल्पनाओं को साकार करने की दिशा में जनधन योजना मोदी सरकार की बहुत निर्णायक पहल साबित हुई है। इसके अंतर्गत बैंक खातों की संख्या 56.29 करोड़ के स्तर तक पहुंच गई है। वित्तीय समावेशन की इस क्रांतिकारी योजना ने सबसे गरीब लोगों को भी बैंक खाते खोलने

और संचालित करने में सक्षम बनाया है। इस संदर्भ में श्रम योगी मानधन योजना और लखपति दीदी जैसी कई अन्य योजनाएं भी हैं। मोदी सरकार की ये सभी कवायदें अनुच्छेद 38 और 39 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप ही आगे आगे बढ़ रही हैं।

मोदी सरकार की ओर से महिलाओं और बच्चों के लिए किए जा रहे प्रयास भी उल्लेखनीय हैं। 2017 में मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि कामकाजी महिलाओं को शिशु के जन्म के समय 26 सप्ताह का अवकाश मिल सके। यह कामकाजी वर्ग में महिलाओं के हितों को पोषित करने वाली एक क्रांतिकारी पहल रही, क्योंकि दुनिया के चुनिंदा देशों में ही ऐसे विस्तारित अवकाश का प्रावधान है। इसी तरह 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने अब तक 3.69 करोड़ महिलाओं को कवर किया है। यह गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ ही वेतन क्षति की पूर्ति भी करती है। बच्चों के लिए एकीकृत बाल विकास योजना में करोड़ों स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संदर्भ में अनुच्छेद 42 पर दृष्टि डालना भी समीचीन होगा, जिसके अनुसार राज्य कार्य की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई परिर्तनकारी पहल हुई हैं। इस संदर्भ में वंचित वर्ग से जुड़े परिवारों के लिए 2018 में आरंभ हुई आयुष्मान भारत योजना किसी संजीवनी से कम नहीं, जो प्रत्येक परिवार को सालाना पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। इससे पहले 2015 में शुरू की गई पीएम सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करती है। इसके 51 करोड़ से भी अधिक कार्ड धारक हैं। यह अनुच्छेद 47 में उल्लिखित निर्देश के अनुरूप है, जो कहता है कि राज्य का प्राथमिक कर्तव्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने ठीक ही लिखा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान किया और पूरे देश में कैशलेस, पेपरलेस उपचार को संभव बनाया। अगस्त 2025 तक, 10.30 करोड़ से अधिक अस्पतालों में भर्ती होने की अनुमति दी जा चुकी है, जिससे कैशलेस देखभाल और जेब से किए जाने वाले व्यय में 1ण्48 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। एक दशक पहले, परिवार चिकित्सा देखभाल के लिए लगभग पूरी तरह से अपनी

जेब से भुगतान करते थे, और आज यह बोझ तेजी से कम हुआ है, क्योंकि लगभग 61 करोड़ लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सुरक्षित हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, 2022 में लाभार्थी आधार बढ़कर 12 करोड़ परिवारों तक पहुँच गया। मार्च 2024 में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को जोड़ा गया, और अक्टूबर 2024 से 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से आय की परवाह किए बिना कवर किया गया। इसके अतिरिक्त, लगभग एक करोड़ गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है, जिससे इस परिवर्तनकारी स्वास्थ्य सेवा पहल की पहुँच और व्यापक हो रही है। इस योजना ने न केवल वित्तीय राहत प्रदान की है, बल्कि विशेष रूप से बुजुर्गों और जमीनी स्तर के स्वास्थ्य कर्मचारियों, जिनकी सेवाओं को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है, के लिए सम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के आयुष्मान भारत के साथ एकीकरण से दक्षता में सुधार हुआ है, दोहराव कम हुआ है, और यह सुनिश्चित हुआ है कि लाभ लोगों तक सरल और अधिक पारदर्शी तरीके से पहुँचें। यह योजना केवल एक वित्तीय सुरक्षा नहीं है, बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप है जो जीवन बचाता है। आयुष्मान भारत ने हमारे सबसे जरूरतमंद नागरिकों के लिए न केवल सरकारी अस्पतालों, बल्कि कुछ बेहतरीन निजी अस्पतालों के भी दरवाजे खोल दिए हैं। इस योजना में 32913 से ज्यादा अस्पताल शामिल हैं, जिनमें 15103 से ज्यादा निजी अस्पताल शामिल हैं, जो संतुलित सार्वजनिक–निजी भागीदारी को दर्शाता है। बढ़ता नेटवर्क सार्वजनिक और निजी, दोनों तरह को भागीदारी के जरिए वंचित क्षेत्रों में पहुँच को और मजबूत करता है।

पिछले सालों में सरकार का काम करने का तरीका बदला है। 1,500 से ज्यादा पुराने कानून हटाए गए और 40,000 से अधिक बेवजह की प्रक्रियाएं खत्म की गई। नए कानून–जैसे टेलीकॉम एक्ट और डीपीडीपी एक्ट–इस सोच पर बने हैं कि आम लोगों और उद्यमियों पर शक नहीं, भरोसा किया जाए। इससे सिस्टम आसान बना, निवेश को बढ़ावा मिला और नए विचारों को आगे बढ़ने का मौका मिला। अब विकास का चक्र और भी तेजी से घूम रहा है।

प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने ठीक ही लिखा है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीते एक दशक में जो बदलाव आया है, उसे लगातार अंतरराष्ट्रीय मान्यताएं मिल रही हैं। बीते दिनों अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा जारी किए गए आंकड़े इस बदलाव की औपचारिक पुष्टि करते हैं। साल 2015 में जहां भारत की महज 19 फीसदी जनसंख्या को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में माना जाता था, वहीं 2025 में यह बढ़कर 64.3 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, यानी करीब 94 करोड़ भारतीय अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। यह न केवल राष्ट्रीय, बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी एक उल्लेखनीय छलांग है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार सिर्फ संख्या की वृद्धि नहीं है, बल्कि नीतिगत दृष्टिकोण में भी एक गहरा बदलाव दर्शाता है। पहले जहां ये कल्याणकारी योजनाएं दिखावटी या चुनावी भाषणों तक सीमित समझी जाती थीं, वहीं अब उनको डाटा आधारित, कानूनी रूप से समर्थित व संस्थागत रूप से प्रमाणित ढांचे में समाहित किया गया है। इस बदलाव से गांवों–गरीबों का 'सिस्टम' के प्रति भरोसा जाग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह नीति समाज के सबसे निचले अंत्योदय और समावेशी विकास की पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करने की दिशा में बड़ा बदलाव है। यह एक ऐसा 'विजन' है, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी अब सिर्फ राजनीतिक लाभ का जरिया न बनकर तरक्की की कतार में शामिल हो रहे हैं।

दरअसल, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की संकल्पना पर आधारित योजनाओं से बीते 10 वर्षों में यह स्पष्ट हुआ है कि जन–कल्याण सिर्फ सरकारी जुमला नहीं है, बल्कि यह शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता यह रही है कि उसने लोक–कल्याण ाकारी योजनाओं को 'डिजिटल ट्रांसफर आधारित न्याय' में बदला। 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' के माध्यम से इस दौरान 44 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे गए। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा, बल्कि सरकारी योजनाओं में लोगों का विश्वास भी बहाल हुआ। सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से आयुष्मान भारत योजना तो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है।

सामाजिक सुरक्षा की दिशा में 'सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020' भी एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है। यह न केवल संगठित क्षेत्र को, बल्कि गिग इकोनॉमी और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के मार्ग खोलती है। एक आकलन के अनुसार, फूड डिलीवरी, कैब ड्राइविंग, फ्रीलांसिंग जैसे कार्यों में लगे गिग कर्मचारियों की संख्या 2030 तक 2.35

करोड़ हो जाएगी। उनके लिए सामाजिक सुरक्षा फंड का प्रस्ताव भारत के बदलते श्रम परिदृश्य की समझ को दर्शाता है।

इसी तरह, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन, अटल पेंशन योजना, किसान मानधन योजना और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसी योजनाएं वृद्ध नागरिकों के लिए समाज में सम्मान के साथ जीवन जीने की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर रही हैं। आईएलओ का सुझाव है कि सामाजिक सुरक्षा केवल आर्थिक सहायता तक सीमित न होकर जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी होनी चाहिए। ऐसे में, हर घर जल योजना ने करोड़ों घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ने चार करोड़ से अधिक घरों का निर्माण करवाया। सौभाग्य योजना और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं ने सामाजिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य को आर्थिक संरक्षण व गरिमा में परिवर्तित कर दिया है। आईएलओ की मान्यता केवल वैश्विक तमगा नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि योजनाएं तभी प्रभावी होती हैं, जब वे नागरिकों के जीवन में प्रवेश करती हैं।

बेशक मोदी सरकार ने अपने इस 11 साल के लंबे कार्यकाल में कुछ ऐसे काम किए हैं, जिनसे देश की जनता संतुष्ट है। इसके पीछे मोदी सरकार के कुछ साहसिक फैसले और कारगर साबित होने वाली योजनाएं एवं कार्यक्रम हैं। जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान जैसी जनकल्याण की योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम किया। देश में आधारभूत ढांचे का बड़े पैमाने पर जो निर्माण हुआ और जिससे लोगों का जीवन सुगम हुआ, उसकी अनदेखी कोई नहीं कर सकता। मोदी सरकार ने अपने पहले, दूसरे और इस तीसरे कार्यकाल में भी कई ऐसे फैसले लिए, जो मील का पत्थर जैसे रहे। कुछ फैसले तो इतने साहसिक रहे कि उनके बारे में सोचना भी कठिन था, जैसे सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक, तीन तलाक को आपराधिक कृत्य के दायरे में लाना, जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करना, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना। इसी तरह महिला आरक्षण कानून, वक्फ कानून में संशोधन और अभी हाल में पाकिस्तान को पस्त एवं विश्व को दंग करने वाले 'आपरेशन सिंदूर' का कठोर निर्णय लेना।

मोदी जी की अगुवाई में आपरेशन सिंदूर ने तीन दिन की झड़प में न केवल पाकिस्तान का मान मर्दन कर दिया बल्कि एक न्यू नार्मल भी स्थापित किया। अब आगे कोई आतंकी हमला होगा तो उसे देश पर हमले की तरह देखा जाएगा। समय के साथ भारत की सुरक्षा चुनौतियां भी बदल रही हैं। पाकिस्तान से उत्पन्न खतरा आज भी बहुत गंभीर बना हुआ है। पाकिस्तान को चीन और अमेरिका का साथ, आंतरिक अस्थिरता, बढ़ती कट्टरता और आतंक के प्रति उसकी राजनीतिक रणनीतिक नीति भारत के लिए चिंता का प्रमुख कारण बन गई है। पाकिस्तान की सेना और कट्टरपंथी संगठन सत्ता और नीतियों का वास्तविक नेतृत्व कर रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों को दोबारा सक्रिय किया जा रहा है और कश्मीर को लेकर भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। यह भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। पाकिस्तान को हर युद्ध में करारी हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए वह सीधी लड़ाई के बजाय सीमा पार से आतंकवाद के जरिये भारत को अस्थिर करने का प्रयास करता रहा है। भारत विरोधी दुष्प्रचार, डिजिटल कट्टरता और फेक न्यूज के जरिये युवाओं को भ्रमित करने की कोशिशें लगातार बढ़ रही हैं। भारत की राष्ट्रीय एकता, सीमाओं की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक मजबूती, मजबूत नेतृत्व और सुरक्षा तंत्र की सख्त तैयारियां भविष्य की चुनौतियों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

कोविड महामारी के बाद भी अर्थव्यवस्था को संभाले रखने और 2014 में 11वीं की स्थिति से देश को चौथी बड़ी आर्थिकी तक पहुंचा देने के साथ भारत को डिजिटल बनाने और विश्व में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के जो काम किए गए, यह सराहनीय है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष कंठ के अनुसार 2014 में जब नरेन्द्र मोदी सरकार ने कार्यभार संभाला, तब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 304 अरब डॉलर था। उस समय देश नीतिगत सुस्ती और बड़े चालू खाता घाटे से गुजर रहा था, देश में कोई बड़े निवेश नहीं हो रहे थे। विकास की रफ्तार धीमी थी। लेकिन पिछले दस वर्षों में किए गए ढांचागत सुधारों और योजनाबद्ध हस्तक्षेपों ने देश की स्थिति को बदला है। जीएसटी, दिवालियापन संहिता, मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे सुधारों ने पूंजी प्रवाह को बढ़ाने में मदद की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अप्रैल 2025 में 677.8 अरब डॉलर है। यह भंडार भारत को उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अगली कतार में लाकर खड़ा कर देता है। इन दिनों दुनिया में जहां भू–राजनीतिक अस्थिरता, ऊंची ब्याज दरें और असंगठित आपूर्ति श्रृंखलाएं विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती दे रही हैं, भारत की यह मुद्रा सुरक्षा एक मजबूत कवच की तरह काम कर रही है। व्यापार घाटा भी तीन साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है, जो निर्यात में प्रतिस्पर्धा और आयात प्रबंधन की दक्षता का संकेत है।

आरबीआई ने मुद्रा व स्थिरता और तरलता प्रबंधन के बीच संतुलन बनाते हुए भंडार का कुशल प्रबंधन किया है। 2025 की शुरुआत में किए गए 10 अरब डॉलर के फॉरेक्स स्वैप जैसे उपायों ने बाजार पर अल्पकालिक दबाव को कम और भंडार की संरचना में भी सुधार किया। मसलन, भारत का स्वर्ण भंडार 2019 में 23.4 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 74 अरब डॉलर हो गया। आरबीआई द्वारा विभिन्न मुद्राओं और साधनों में भंडार का विविधीकरण इसकी गुणवत्ता को और मजबूती देता है।

भारत का वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में उभरना संयोग नहीं है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और लक्षित कर सुधार जैसे प्रयासों ने भारत की नवाचार क्षमता को बढ़ाया है। नीति स्पष्टता, राजनीतिक स्थिरता, घरेलू बाजार में वृद्धि और वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की छवि और मजबूत हुई है। हर महीने आकलन से अधिक जीएसटी संग्रह अर्थव्यवस्था के मजबूत होने और बढ़ते उपभोग का संकेत है। इसके साथ ही, सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन ने भारत को स्थिर विकास की राह पर बनाए रखा है। 2020 से 2024 के बीच भारत के विदेशी मुद्रा बाजार में औसत दैनिक कारोबार 60 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो बढ़ते निवेशकों के भरोसे का प्रमाण है।

आज की स्थिति में जब भारत 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के लक्ष्य की ओर अग्रसर है तब विदेशी मुद्रा भंडार दोहरी भूमिका निभा रहा है। एक ओर यह वैश्विक अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करता है, तो दूसरी ओर यह दुनिया को भारत की आर्थिक मजबूती और विश्वसनीयता का संदेश देता है। रेकॉर्ड स्तर का यह भंडार केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह बीते दस वर्षों में लिए गए सशक्त निर्णयों, आर्थिक अनुशासन और निरंतर सुधारों की मजबूत नींव का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज मुहैया कराने, इन्फ्रास्ट्रक्चर के चौतरफा विकास और सरकारी सुस्ती दूर करने के लिए नौकरशाही में ताजगी लाने के तमाम उपाय किए। प्रधानमंत्री जी आज तक समाज की निचली सीढ़ी पर खड़े लोगों के लिए नई योजनाएं बनाने और उनके सरल क्रियान्वयन के तरीकों की खोज में जी–जान एक करते हैं। यही वजह उनकी लोकप्रियता को सदाबहार बनाए रखती है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी धर्मों, वर्गों और जातीय समूहों को मिला है। प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि सत्ता तभी चिर–स्थायी हो सकती है, जब उसका समाज से सीधा जुड़ाव हो। यही वजह है कि उन्होंने हुकूमत को सदैव सामाजिक आंदोलन बनाने की कोशिश की। शासन संभालते ही उन्होंने स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अनुच्छेद–370 और तीन तलाक जैसे तमाम अहम विषयों पर न केवल फैसले लिए, बल्कि जन–जागरण की कोशिश भी की। वे सिर्फ लोक–लुभावन काम नहीं करते। उन्होंने कहा था, देश के मध्यवर्ग को राष्ट्रीय हित के लिए कुछ दिन दर्द तो सहना होगा।

हमारे देश में लगभग सभी राजनीतिक दल, चाहे वे सत्ता में हों या विपक्ष में, चुनाव के समय लोक–लुभावने वायदे करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही उनको भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले कहा 'सबका साथ, सबका विकास', फिर इसमें जोड़ा 'सबका विश्वास' और अब इसमें 'सबका प्रयास' जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने अपनी पहली पारी में विकास के कई काम किए, इसीलिए लोगों ने उन्हें दूसरी बार वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री बनाया। उनका दूसरा कार्यकाल भी उल्लेखनीय रहा, जिस कारण उन्हें तीसरा मौका वर्ष 2024 में मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाईं और उनको सफलतापूर्वक लागू भी किया। हर जरूरतमंद को अन्न देने की व्यवस्था करनी हो या सस्ते मकान की, यहां तक कि सस्ती चिकित्सा सुविधा और कम कीमत पर जेनरिक दवाएं मुहैया कराने का काम भी इस सरकार ने किया है।

तीसरे कार्यकाल का पहला सालः मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष जैसे राजनीतिक वातावरण में पूरा होने जा रहा है, वह इसलिए अधिक उल्लेखनीय है, क्योंकि जब इस सरकार ने अपनी तीसरी पारी शुरू की थी तब राजनीतिक माहौल बिल्कुल विपरीत था। ऐसा इसलिए था, क्योंकि भाजपा अपने बलबूते बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी और उसे सरकार गठन के लिए सहयोगी दलों पर निर्भर होना पड़ा था। इसके चलते यह माना गया कि मोदी सरकार अपने पहले और दूसरे कार्यकाल की तरह बड़े और साहसिक फैसले नहीं ले पाएंगी और उसे कई विषयों पर गठबंधन के घटक दलों और विशेष रूप से जनता दल (युनाईटेड) और तेलुगु देसम के दबाव–प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। एक साल के कार्यकाल ने इस धारणा को ध्वस्त करते हुए यही स्पष्ट किया कि भाजपा भले ही 240 सीटों तक सीमित रही हो, लेकिन मोदी सरकार अपने एजेंडे को लागू करने के लिए पहले की ही तरह प्रतिबद्ध है। इसका एक बड़ा उदाहरण वक्फ संशोधन विधेयक को कानून

का रूप देना है। भाजपा सहयोगी दलों को विश्वास में लेकर वक्फ कानून में संशोधन के अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ी और उसे पूरा भी कर दिखाया। इसी तरह वह 'लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि देश को अगले वर्ष मार्च तक माओवाद से मुक्त करा लिया जाएगा। मोदी सरकार किस तरह साहसिक फैसले लेने में समर्थ है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 'आपरेशन सिंदूर'। पहलगाम में पाकिस्तान पोषित आतंकियों की ओर से 26 लोगों की जघन्य हत्या के बाद भारतीय सेना ने जिस तरह पहले पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया और फिर उसके कई प्रमुख एयरबेस ध्वस्त कर दिए, वह सचमुच अकल्पनीय सैन्य कार्रवाई है। भारत ऐसी कठोर कार्रवाई करेगा, इसकी कल्पना न तो पाकिस्तान ने की होगी और न ही विश्व समुदाय ने। मोदी सरकार ने देश और दुनिया को दिखाया कि भारत को आतंकवाद से लड़ना आता है। इसका एक और प्रमाण पाकिस्तान से किए गए सिंधु जल समझौते को स्थगित करना भी है।

तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होते–होते जिस तरह यह, खबर आई कि भारत पिछले 11 वर्षों में 27 करोड़ लोगों को अति निर्धनता से उबारने में सफल रहा, वह इस सरकार की विकास और जनकल्याणकारी नीतियों की सफलता का ही परिचायक है।

विकसित भारतः भारत ने 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने तक देश को विकसित बना लेने का संकल्प ले रखा है। अनेक क्षेत्र में विकास की बयार बह रही है। पिछले कुछ सालों में ही इसने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जगह बनाते हुए चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है। इसकी गति निरंतर बनी हुई है और अब जर्मनी को पछाड़कर तीसरे पर काबिज होने के लिए कुलांचे भर रहा है। वह दिन दूर नहीं, जब हम गर्व से कह सकेंगे कि हमारा देश भी सर्वोच्च अर्थव्यवस्थाओं की तिकड़ी में शामिल हो गया है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह एक व्यापक विजन योजना है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना है।

विकसित भारत के चार स्तंभ–युवा, गरीब, महिला और किसान हैं। इसके लिए आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, पर्यावरणीय स्थिरता, औद्योगिक आधुनिकीकरण और सुशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान विकास गतिविधियों के अलावा भविष्य में भी व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है।

भारत ने सतत आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए 7.8% वार्षिक जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा है। देश के नीति आयोग के अनुसार, हमारी जीडीपी 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। दूसरा कदम सामाजिक समता की दिशा में है। इसके तहत गरीबी उन्मूलन, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास चल रहे हैं। तीसरे कदम के रूप में औद्योगिक आधुनिकीकरण है, जिसके तहत 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद में 25% योगदान करने के लिए विनिर्माण को बढ़ावा देना एक प्रमुख लक्ष्य है। चौथे में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में शामिल होकर आगे निकलना है। इसमें पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान विकास में तीव्रता लाने के लिए सभी क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया पहल, फिनटेक अपनाने, ई–गवर्नेस एवं डिजिटल सेवाओं जैसे बुनियादी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। पांचवें कदम में पर्यावरण क्षेत्र पर नजर है। भारत ने शुद्ध–शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने का लक्ष्य रखा है। ग्रीन इंडिया मिशन जैसी पहल नवीकरणीय ऊर्जा और सतत शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इन पहलों पर दृढ़ता से काम कर देश जरूर विकसित देशों की पांत में खड़ा हो सकेगा, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है।

आईआईएम, मुंबई के निदेशक श्री मनोज तिवारी के अनुसार दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारी चुनौतियों से जूझ रही है। कई उभरते बाजार अस्थिरता का सामना कर रहे है। लेकिन इनके बीच भारत दुनिया के बड़े देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यह मजबूती संयोग नहीं बल्कि आर्थिक सुधारों पर इस वित्तीय वर्ष में देश की जीडीपी के 6 से 6.5 प्रतिशत बने रहने का अनुमान है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी 'एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स' ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को स्थिर दृष्टिकोण के साथ फिर से 'बीबीबी' पर रखा है। इससे पता चलता है कि वैश्विक उथल–पुथल से पैदा हुए संकट के बीच भारत सही नीति अपनाए हुए है। पीएम गति शक्ति नैशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसी योजनाएं, जीएसटी सुधार व्यापक रूप से यूपीआई का इस्तेमाल– ये सारी चीजें देश के डिवेलपमेंट मॉडल को नए सिरे से परिभाषित करती है। इससे पूरी दुनिया में संदेश गया है कि भारत विभिन्न पैमाने पर समावेशिता और डिजिटल दक्षता के साथ आगे बढ़ रहा है।

यद्यपि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैक्स लाद दिया है, लेकिन देश के आर्थिक लचीलेपन की वजह से इसका प्रभाव कम होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ से जीडीपी पर 0.3% तक असर पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ बातचीत चल रही है। एशिया के दूसरे देशों, अफ्रीका और मध्य पूर्व के साथ गहरी साझेदारी बताती है कि सरकार ने विदेश संबंधों में विविधता के नजरिये को अपनाया हुआ है। मोदी जी ने अमेरिका की टैरिफ चुनौती से जूझने में खासी दृढ़ता का परिचय दिया है। वह इसके जोखिम जानते हैं। उन्होंने इसके सार्वजनिक इजहार से संकोच नहीं किया, जब उन्होंने कहा कि 'भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई–बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा और मैं जानता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं।' ऊपरी तौर पर यह अमेरिका द्वारा जनित 'टैरिफ टेरर' लगता है, लेकिन मामला जटिल है। 1945 से जारी मौजूदा विश्व–व्यवस्था अपने तमाम उतार–चढ़ावों के बाद अब निर्णायक मोड़ पर है। प्रधानमंत्री इस आकार लेती नई विश्व–व्यवस्था में भारत की सशक्त उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। बीजिंग में उनकी शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से हुई मुलाकातें इसे जाहिर करती हैं। इसका असर भी दिखने लगा है। कल तक तोहमतें थोपने वाले ट्रंप दोस्ती की उम्मीद जताने लगे हैं। मोदी जी ने चतुराई से अमेरिकी राष्ट्रपति के भड़काऊ बयानों की उपेक्षा की और मैत्री अपेक्षाओं पर गर्मजोशी जताई। मोदी नरमी और गरमी के बीच संतुलन बनाना जानते हैं।

दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति, ट्रेड वार और मंदी की आशंकाओं से जूझ रही हैं। इस बीच भारत ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक क्षमता और नीतिगत संतुलन को साबित किया है। आइएमएफ ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 6ण्6 प्रतिशत तक संशोधित किया है, जो जुलाई में जारी अनुमान से 10 आधार अंक अधिक है। वैश्विक औसत वृद्धि दर जहां 3.2 प्रतिशत के आसपास है, वहीं भारत का प्रदर्शन लगभग दोगुना है। यह वृद्धि उस समय आई है, जब चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते टैरिफ विवादों ने वैश्विक व्यापारिक प्रवाह को अस्थिर कर दिया है और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं ऊर्जा संकट और मंदी के दबाव से जूझ रही हैं। ऐसे माहौल में भारत की स्थिर आर्थिक गति अपने आप में असाधारण है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले एक दशक में जिस नीतिगत संरचना को अपनाया है, वह अल्पकालिक राहत योजनाओं से आगे जाकर दीर्घकालिक विकास को केंद्र में रखती है। सरकार का ध्यान उपभोग आधारित विकास से हटकर निवेश और उत्पादन आधारित माडल पर केंद्रित हुआ है। पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि, मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) जैसी योजनाओं ने घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को गति दी है। परिणामस्वरूप भारत अब केवल कंज्यूमर मार्केट नहीं, बल्कि उत्पादन केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसका प्रभाव निर्माण, परिवहन, रक्षा और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में साफ दिखता है। ग्रामीण भारत में बढ़ती क्रय शक्ति और शहरी क्षेत्रों में सर्विस सेक्टर का विस्तार भी आंतरिक मांग को स्थिर बनाए हुए है। आइएमएफ की रिपोर्ट यह मानती है कि भारत की वृद्धि मुख्यतः घरेलू मांग में वृद्धि से है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं से अपेक्षाकृत सुरक्षित है।

पीएलआई स्कीम्स, मेड इन इंडिया और नए निर्यात बाजारों की मदद से देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और राजकोषीय सुधार देश की नीव है, तो गहन तकनीक भविष्य। सरकार की नैशनल डीप टेक एंड साइंटिफिक रिसर्च पॉलिसी का मकसद तकनीकी संप्रभुता को मजबूत करना है। यह पॉलिसी इन पर फोकस करेगी– गवर्नेंस हेल्थकेयर और एजुकेशन में एआई का इस्तेमाल, सेमीकंडक्टर्स और क्वांटम टेक्नॉलजी पर काम, जीनोमिक्स और फार्मा इनोवेशन के लिए बायोटेक्नॉलजी, स्पेस और डिफेस टेक्नॉलजी, रोबोटिक्स। लक्ष्य साफ है– भारत को बस भागीदारी नहीं करनी, नेतृत्व करना है।

बेशक कुछ योजनाएं और फैसले अपेक्षित नतीजे नहीं दे सके। न्यायपालिका में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका। इसके साथ ही जनता को जागरूक कर उसे अपने कर्तव्यों के प्रति सजग भी करना जरूरी है। देश में गहरी हो चुकी भ्रष्टाचार की जहरीली जड़ों पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी, तभी सबका साथ और सबका विकास का सपना पूरा हो सकेगा। भ्रष्टाचार के कारण कई जरूरतमंद लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इन सबको रोकने का प्रयास प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मगर जब हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तो हमें समग्रता में काम करना होगा। तभी हमारा देश आत्मनिर्भर एवं विकसित बन सकेगा।

उल्लसित करते 'उल्लास' के परिणाम

बीरेन्द्र सिंह रावत*

साक्षरता किसी भी व्यक्ति के स्वयं, समाज एवं देश के हित के लिए सर्वोपरि है। साक्षरता और समृद्धि में गहरा संबंध है। एक साक्षर समाज का अर्थ है अधिक आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा, और सामाजिक प्रगति। साक्षरता शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। जब लोग साक्षर होते हैं, तो वे अधिक आसानी से सीख सकते हैं और अपनी क्षमता को पूरा कर सकते हैं। यह उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने और अपने ज्ञान एवं कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। जब लोग शिक्षित होते हैं, तो वे बेहतर नौकरियाँ प्राप्त करते हैं, अधिक आय कमाते हैं, और अपने जीवन में सुधार करते हैं। साक्षर लोग अधिक कुशल होते हैं और तकनीकी प्रगति को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। साक्षर लोग बेहतर निर्णय लेने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और नवाचार करने में भी सक्षम होते हैं, जिससे आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जाता है। साक्षरता मानव पूंजी का निर्माण करती है। एक साक्षर आबादी अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी होती है। साक्षरता लोगों को अधिक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने में भी मदद करती है। साक्षर लोग बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण के बारे में अधिक जानते हैं, वे बीमारी के जोखिम को कम करने और अपने जीवनकाल को बेहतर बनाने में सक्षम होते हैं और अपने समुदाय एवं देश में सामाजिक सुधार के लिए काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। साक्षरता किसी देश की मानव पूंजी की गुणवत्ता के सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है।

भारत जैसे देश में साक्षरता सामाजिक और आर्थिक विकास का मुख्य आधार है। वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ, तब साक्षरता दर मात्र 12 प्रतिशत थी। भारत ने एक सुशिक्षित राष्ट्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रास्ता तय किया है। 1951 में 18.3 प्रतिशत की साक्षरता दर 2018 में बढ़कर 74.4 प्रतिशत हो गई; और 2023 तक पुरुष साक्षरता 84.70 प्रतिशत एवं महिलाओं की साक्षरता दर 70.30 प्रतिशत है। अब यदि हम 'साक्षर व्यक्ति' की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या आयोग किसी भी भाषा में संक्षिप्त संदेश को समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता को किसी व्यक्ति को साक्षर के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त आधार मानता है। भारतीय जनगणना के अनुसार, 'साक्षर' शब्द का तात्पर्य उन लोगों से है जो सात वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और किसी भी भाषा में स्पष्ट रूप से पढ़ने और लिखने में सक्षम हैं। भारत में साक्षरता दर को बढ़ाने हेतु समय–समय पर अनेक नीतियाँ बनाईं और लागू की गईं, अनेक अभियान एवं कार्यक्रम चलाए गए। विभिन्न प्रकार के पारिवारिक–सामाजिक एवं क्षेत्रीय असंतुलन के कारण लाखों व्यक्ति औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली पंचवर्षीय योजना से अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य उन प्रौढ व्यक्तियों को शैक्षिक विकल्प देना है, जिन्होंने यह अवसर गंवा दिया है और औपचारिक शिक्षा आयु को पार कर चुके हैं, लेकिन अब वे साक्षरता, आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास (व्यावसायिक शिक्षा) और इसी तरह की अन्य शिक्षा सहित किसी तरह के ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। 1956 में राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसका बाद में नाम बदलकर प्रौढ़ शिक्षा विभाग कर दिया गया था। 1961 में इसे राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का हिस्सा बनाया गया। भारत में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (एनएईपी) 02 अक्टूबर 1978 को शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम 15–35 आयु वर्ग के निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करने पर केंद्रित था और इसका उद्देश्य उन्हें सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए प्रेरित करना था। इस कार्यक्रम में 1.5 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को पहले वर्ष में साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, और अगले पांच वर्षों में 35 मिलियन निरक्षर लोगों को शामिल

*वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा

करने का लक्ष्य था। इस कार्यक्रम से लाखों व्यक्ति लाभान्वित हुए।

अ' 'आ' 'इ' 'ई' पैढ़िका, 'क' 'ख' 'ग' 'घ' गोडिका।
क्वी बणि जंदि विद्वान महान, क्वी पछतांदि छोड़िका।।

अर्थात 'अ' 'आ' 'इ' 'ई' और 'क' 'ख' 'ग' 'घ' पढ–लिखकर यानी उचित शिक्षा ग्रहण करके कोई विद्वान, तो कोई महान बन जाता है जबकि पढ़ाई बीच में ही छोडने वालों को पछताना पड़ता है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के मद्देनजर स्थानीय आबादी के बीच साक्षरता एवं शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रचे गये उपर्युक्त गढ़वाली गाने ने 1970–80 के दशकों में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र गढ़वाल–कुमांऊ (वर्तमान में उत्तराखंड राज्य) में काफी धूम मचाई थी। इसने न केवल लोगों का रुझान शिक्षा के प्रति बढ़ा था अपितु इस क्षेत्र में साक्षरता की समग्र दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।

ऐसा ही एक कार्यक्रम भारत सरकार का राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम) है, जिसे समयबद्ध तरीके से 15–35 वर्ष की आयु समूह में अशिक्षितों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के लिए 1988 में शुरू किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक एनएलएम ने 127.45 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर किया, जिनमें से 60 प्रतिशत महिलाएं थीं, 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति (अजा) और 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (अजजा) से संबंधित थे। समग्र साक्षरता अभियान के अंतर्गत 597 जिलों को शामिल किया गया था, जिनमें 502 साक्षरता पश्चात चरण और 328 सतत शिक्षा चरण में पहुंच गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 6–14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चे स्कूल जाएँ और 2010 तक आठ साल की स्कूली शिक्षा पूरी करें। इस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के बच्चों के लिए है जहाँ एक किलोमीटर (0.62 मील) के दायरे में कोई औपचारिक स्कूल नहीं है। 1994 में शुरू किए गए केंद्र प्रायोजित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत गये 2005 तक 1,60,000 से अधिक नए स्कूल खोले थे, जिनमें लगभग 84,000 वैकल्पिक स्कूल शामिल थे।

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 04 अगस्त 2009 को पारित भारतीय संसद का एक अधिनियम है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर–तरीकों का वर्णन करता है। 01 अप्रैल 2010 को अधिनियम लागू होने के बाद भारत उन 135 देशों में से एक बन गया, जिसने शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है और प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंड निर्दिष्ट करता है। इसके अंतर्गत सभी निजी विद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजारे वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होती हैं। इसके अलावा, वयस्कों में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए केंद्र प्रायोजित, राष्ट्रव्यापी पहल, साक्षर भारत योजना शुरू की गई। यह कार्यक्रम 26 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 404 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया था। लक्षित जिले वे थे जहाँ 2001 की जनगणना के अनुसार वयस्क महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत या उससे कम थी। यह योजना 2009 से 31 मार्च 2018 तक चलाई गई। साक्षर भारत पहल के कार्यकाल के दौरान व्यापक लक्ष्य 7.00 करोड़ निरक्षर वयस्कों को साक्षर व्यक्तियों में बदलना था। उल्लेखनीय रूप से, यह उद्देश्य पूरा हो गया और उससे भी आगे निकल गया, लगभग 7.64 करोड़ शिक्षार्थियों ने द्विवार्षिक बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन परीक्षण पास किया। अगस्त 2010 से मार्च 2018 तक हुए मूल्यांकन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित किए गए थे, जिसमें इन शिक्षार्थियों को साक्षर के रूप में प्रमाणित किया गया था।

इस प्रयोजन से संचालित अन्य अभियान एवं योजनाएं इस प्रकार हैं– i) मध्याह्न भोजन योजना – इसे 15 अगस्त 1995 को स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। ii) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) – 2001 में शुरू किया गया एसएसए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है जो लैंगिक और सामाजिक अंतर को पाटने के प्रयास में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। iii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) – 2009 में शुरू किया गया आरएमएसए माध्यमिक

स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, नामांकन बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में सुधार और शिक्षकों को कौशल प्रदान करने पर केंद्रित है। iv) पढ़े भारत बढ़े भारत– मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 5 जून 2014 को शुरू की गई 'पढ़े भारत बढ़े भारत' पहल का उद्देश्य प्रारंभिक कक्षाओं में छात्रों की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल में सुधार करना है। v) बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ– यह पहल 22 जनवरी 2015 को लिंग आधारित भेदभाव को दूर करने, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत में लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए शुरू की गई थी। vi) राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन– इसे 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना है। और vii) प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) – इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2017 को की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार का एक सदस्य डिजिटल शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करके डिजिटल रूप से साक्षर हो। साक्षर भारत योजना के तहत साक्षर के रूप में प्रमाणित व्यक्तियों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान में भारत में लगभग 18.12 करोड़ वयस्क निरक्षर हैं।

वैश्विक स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), जिन्हें वैश्विक लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है, को 2015 में गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि 2030 तक सभी लोग शांति और समृद्धि का आनंद लें, एक सार्वभौमिक कार्रवाई के आह्वान के रूप में अपनाया गया था। 17 सतत विकास लक्ष्य एकीकृत हैं– वे मानते हैं कि एक क्षेत्र में की गई कार्रवाई अन्य क्षेत्रों के परिणामों को प्रभावित करेगी, तथा विकास में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन होना चाहिए। देशों ने उन लोगों के लिए प्रगति को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता जताई है जो सबसे पीछे हैं। सतत विकास लक्ष्य गरीबी, भुखमरी, एड्स और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए बनाए गए हैं। हर संदर्भ में सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाज के सभी लोगों की रचनात्मकता, जानकारी, प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधन आवश्यक हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत गरीबी उन्मूलन, शून्य भुखमरी, अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, अच्छा काम और आर्थिक विकास सहित कुल 17 सतत विकास लक्ष्य रखे गए।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) में साक्षरता का लक्ष्य एसडीजी 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) के तहत है, जो 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के बारे में है। यह लक्ष्य साक्षरता और संख्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिसमें सभी युवा और वयस्कों को साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने का लक्ष्य है। एसडीजी 4.6 का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक सभी युवा और वयस्कों का एक बड़ा हिस्सा, पुरुष और महिला दोनों, साक्षरता और संख्यात्मकता हासिल कर लें। क्योंकि साक्षरता और संख्यात्मक कौशल व्यक्तियों के लिए रोजगार, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं, अतः यह सुनिश्चित करना कि सभी आयु समूहों के लोगों का कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मक कौशल में कम से कम एक निश्चित स्तर की दक्षता हासिल हो। साक्षरता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए सभी देशों को निम्नलिखित कार्य करने होंगेः सबके लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना; सभी बच्चों को मुक्त, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना; अतिरिक्त साक्षरता कार्यक्रम चलाना; वयस्कों के लिए साक्षरता कार्यक्रम चलाना विशेष रूप से महिलाओं और उन क्षेत्रों में जहाँ साक्षरता दर कम है; साक्षरता कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण करना; साक्षरता कार्यक्रमों को चलाने के लिए पर्याप्त धन और संसाधन प्रदान करना; विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करना और क्षमता के अनुसार क्रमिक प्रगति के लिए मानक निर्धारित करना; डिजिटल साक्षरता पर ध्यान देना; और डिजिटल साक्षरता एव संख्यात्मक कौषल को बढ़ावा देना क्योंकि वे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विकास एजेंसी के रूप में, यूएनडीपी देशों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एसडीजी 4.6 के दृष्टिगत और साक्षरता दर बढ़ाने के अपने अभियान के क्रम में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक पाँच वर्षों के लिए केंद्र प्रायोजित

योजना ''**उल्लास– नव भारत साक्षरता कार्यक्रम**'' को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के तहत भारत सरकार ने निरक्षरता को विकास की कमजोर कड़ी के रूप में पहचाना और शत–प्रतिशत साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2021 में योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में सभी के लिए शिक्षा (पहले वयस्क शिक्षा के नाम से प्रचलित) के लिए राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र–प्रकोष्ठ (सी.एन.सी.एल.) की स्थापना की। यह प्रकोष्ठ इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को शैक्षिक सहयोग एवं क्षमता संवर्धन को प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में वयस्क शिक्षा की बात करते हुए पैरा 21.4 में उल्लेख किया गया है: 'वयस्क शिक्षा के लिए मजबूत और नवीन सरकारी पहल– विशेष रूप से, सामुदायिक भागीदारी और प्रौद्योगिकी के सहज और लाभकारी एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए– 100 प्रतिशत साक्षरता हासिल करने के इस महत्वपूर्ण लक्ष्य में तेजी लाने के लिए जल्द से जल्द पूरा करने पर प्रभाव डालेगी।' यह साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के बीच संबंध को रेखांकित करता है, तथा जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे वित्तीय लेनदेन, नौकरी के लिए आवेदन, मीडिया और प्रौद्योगिकी की समझ, अधिकारों की समझ और उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में भागीदारी में गैर–साक्षर व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले नुकसानों को उजागर करता है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को न केवल पढ़ना, लिखना सिखाना और अंकगणित की समझ प्रदान करना है, बल्कि महत्वपूर्ण जीवन कौशल की समझ के साथ व्यक्तियों को समृद्ध करना और उनके मध्य आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना भी है। यह कार्यक्रम महिलाओं, पिछड़े और हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि साक्षरता एवं अन्य महत्वपूर्ण जीवन कौशल सभी के लिए सुलभ और प्राप्त करने योग्य हों। इसके मद्देनजर, विभाग ने साक्षरता की एक स्पष्ट और समावेशी परिभाषा स्थापित करने की आवश्यकता को पहचाना है जो बुनियादी पढ़ने और लिखने के कौशल से परे है। सितंबर 2024 के दौरान साक्षरता को इस प्रकार से परिभाषित किया गया, 'पढ़ने, लिखने और समझ के साथ गणना करने की क्षमता, यानी पहचान करने, समझने, व्याख्या करने और बनाने की क्षमता, साथ ही डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता आदि जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल।' यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति समाज में पूरी तरह से शामिल होने और योगदान देने के लिए सुसज्जित हैं। साथ ही, सरकार ने भारतीय संदर्भ में 100 प्रतिशत या पूर्ण साक्षरता के लिए एक बेंचमार्क निर्धारित किया है, 'किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में 95 प्रतिशत साक्षरता हासिल करना पूरी तरह से साक्षर होने के बराबर माना जा सकता है।' इस उन्नत परिभाषा को अन्य विशेषज्ञों के अलावा एनसीईआरटी और यूनेस्को के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक सहयोगी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया था। इस परिभाषा की शुरूआत भारत की पूर्ण साक्षरता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सरकार की इस प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है कि प्रत्येक नागरिक को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता तथा महत्वपूर्ण जीवन कौशल के साथ–साथ व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल प्राप्त करने का अवसर मिले। भारत सरकार सभी हितधारकों से साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को नवीनीकृत करने और एक पूर्ण साक्षर राष्ट्र प्राप्त करने के साझा लक्ष्य की दिशा में सहयोगात्मक रूप से काम करने का आह्वान करती है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित दृष्टिकोण को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है कि भारत 2030 तक उल्लास के साथ पूर्ण साक्षरता तक पहुँचने की दिशा में आगे बढ़ता रहे, जिससे जन जन साक्षर बने।

इस योजना को स्वैच्छिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और कर्तव्यबोध की भावना को बढ़ावा देने के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, शिक्षार्थियों को दीक्षा (DIKSHA) पोर्टल पर एजुकेशन फॉर ऑल वर्टिकल के साथ–साथ उल्लास मोबाइल ऐप के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री तक पहुँचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उल्लास शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के मार्ग को रोशन करते हुए आशा की किरण के रूप में कार्य करना जारी रखता है। इसलिए, पाठ्यक्रम को शिक्षार्थियों के सामाजिक–सांस्कृतिक–आर्थिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, जो उनके बीच अधिक आत्मीयता और गर्व की भावना पैदा करता है। उल्लास स्वयंसेवी शिक्षकों के लिए अपने शिक्षण

विधियों में अनुभवात्मक शिक्षा को भी शामिल करता है, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक आकर्षक और सार्थक हो जाती है, साथ ही सीखने को व्यावहारिक मूल्य भी मिलता है। यह योजना प्रमाण–पत्रों के माध्यम से शिक्षार्थियों के साथ–साथ स्वयंसेवी शिक्षकों के प्रयासों को भी मान्यता देती है, जो निस्संदेह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। यह योजना साक्षरता कार्यक्रम से कहीं बढ़कर है; यह एक आंदोलन है, एक उज्ज्वल भविष्य और सशक्त नागरिकों की ओर एक अभियान है। यह मानता है कि साक्षरता एक मौलिक मानव अधिकार है और इस अधिकार को सभी के लिए सुलभ बनाने का प्रयास करता है। इस यात्रा पर निकलने वाले शिक्षार्थी न केवल पढ़ना और लिखना सीखते हैं बल्कि अपने जीवन, अपनी आजीविका और अपने समुदायों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में भी सक्षम होते हैं। पढ़ा गया प्रत्येक शब्द, गणना की गई प्रत्येक संख्या और समझा गया प्रत्येक विचार उन्हें उनके सपनों के एक कदम करीब लाता है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगा। इस योजना के तहत ऑनलाइन सर्वेक्षण ऐप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों द्वारा नियुक्त/नामित सर्वेक्षणकर्ता को समाज/आस–पास के क्षेत्र में घर–घर जाकर सर्वेक्षण करते समय 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों और स्वयंसेवकों के बारे में जानकारी दर्ज करने में सक्षम बनाता है। यह ऐप शिक्षण केंद्रों की निगरानी को सक्षम बनाता है, जिसे कोई भी अधिकृत उपयोगकर्ता कर सकता है। प्रशासक इस समाधान का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान पढ़ाए जाने वाले नागरिकों की संख्या की योजना बनाने के लिए कर सकते हैं। योजना राष्ट्रीय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक बनाई जा सकती है। अभी तक के अपने सफर में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के राष्ट्रीय साक्षरता केन्द्र ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मातृभाषा के विकास एवं संवर्धन के मूलमंत्र पर बढ़ते हुए 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ काम करते हुए यह केंद्र अभी तक लगभग 30 भाषाओं में प्रयुक्त संसाधन सामग्री का निर्माण कर चुका है। इन सामग्रियों में प्रवेशिका, संक्षिप्त प्रवेशिका, मार्गदर्शिका, स्वयंसेवी शिक्षकों के लिए दिशा–निर्देश, प्रवेशिका निर्माण के दिशा–निर्देश, ऑडियो–विडियो प्रोगाम, महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल पर आधारित सामग्री, इंटरैक्टिव, ऑडियो बुक आदि प्रमुख हैं।

उल्लास योजना के सकारात्मक परिणाम आने शुरु हो गये हैं। लद्दाख इस योजना के तहत पूर्ण कार्याशील साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला केन्द्र शासित प्रदेश बना। 24 जून 2024 को लद्दाख के उपराज्यपाल डॉ. बी. डी. मिश्रा ने 'उल्लास' – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 97 प्रतिशत से अधिक साक्षरता प्राप्त करने के मद्देनजर लद्दाख को पूर्ण कार्याशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया। डॉ. मिश्रा ने सिंधु सांस्कृतिक केंद्र (एसएसके), लेह में एक समारोह में यह जानकारी दी। यह घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार; संयुक्त सचिव श्रीमती अर्चना शर्मा अवस्थी; एलएएचडीसी, कारगिल के अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद जाफर अखून की उपस्थिति में की गई। इस अवसर पर लद्दाख के स्कूली शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री संजीव खिरवार और 500 से अधिक नव साक्षर व स्वयंसेवी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. मिश्रा ने नए शिक्षार्थियों और स्वयंसेवियों को आजीवन सीखने के मार्ग पर चलते रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना माता–पिता की जिम्मेदारी है। उन्होंने छात्रों से न केवल रोजगार की तलाश करने बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करने के बारे में भी सोचने का आह्वान किया। नई शिक्षा नीति 2020 प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन करते हुए उन्होंने कहा कि यह नीति देश के भविष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। यह उत्कृष्ट उपलब्धि लद्दाख की आधारभूत साक्षरता और संख्या–ज्ञान तथा सभी के लिए महत्वपूर्ण जीवन कौशल के माध्यम से अपने नागरिकों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को प्रकट करती है। साथ ही, यह उपलब्धि उल्लास योजना के तहत किए जा रहे प्रयासों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करती है एवं दूसरों के लिए अनुकरणीय मानदंड स्थापित करती है।

इसके बाद, ठीक एक वर्ष के अंदर ही तीन राज्यों नामतः मिजोरम, गोवा एवं त्रिपुरा ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली। मिजोरम 98.2 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना। भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी की उपस्थिति में मिजोरम के

मुख्यमंत्री श्री लालदुहोमा ने मंगलवार 21 मई 2025 को आइजोल में मिजोरम यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में यह घोषणा की। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से इस मुहिम को और भी मदद मिली, जिसमें स्थानीय भाषाओं में लोगों को अध्ययन सामग्री मुहैया करायी गई। श्री लालदुहोमा ने कहा कि इस सफलता का श्रेय नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को जाता है। इस कार्यक्रम में 3,026 निरक्षर लोगों की पहचान की गई। इनमें से 1,692 लोग सीखने के लिए तैयार थे। 292 स्वयंसेवी शिक्षकों की एक टीम ने इसमें बहुत मदद की। इन शिक्षकों में छात्र, शिक्षक और जानकार लोग शामिल थे। उन्होंने मिज़ो संस्कृति के "Tlawmngaihna" के मूल्यों का पालन किया। इसका मतलब होता है– निस्वार्थ सेवा और परोपकार। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि योजना का समापन नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। अब राज्य बुनियादी पढ़ने और लिखने के अलावा डिजिटल, वित्तीय और उद्यमशीलता कौशल भी सिखाएगा। इससे सभी को समग्र शिक्षा मिल सकेगी। मिजोरम की साक्षरता यात्रा दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण है। यह दिखाती है कि समुदाय–आधारित शिक्षा और सरकार मिलकर कितना अच्छा काम कर सकते हैं।

गोवा 95 प्रतिशत कार्यात्मक साक्षरता के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मानक को पार करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने 30 मई 2025 को गोवा के 39वें राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में की। यह भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के वर्ष 2030 तक पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य त्रिपुरा बन गया है। इसकी घोषणा 23 जून 2025 को अगरतला के रवींद्र शताब्दी भवन में एक भव्य समारोह के दौरान की गई, जिसमें मुख्यमंत्री प्रो. (डॉ.) माणिक साहा और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 1961 में जहाँ राज्य की साक्षरता दर मात्र 20.24 प्रतिशत थी, वह अब बढ़कर 95.6 प्रतिशत हो गई है। इस उपलब्धि के साथ त्रिपुरा ने मिजोरम और गोवा के बाद यह लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। त्रिपुरा की यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रेरक उदाहरण है कि जब सरकार, समाज और व्यक्ति मिलकर कार्य करें तो शिक्षा जैसे चुनौतीपूर्ण लक्ष्य भी सार्थक परिणाम दे सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार दूसरे राज्य भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे है। छोटे राज्यों के लिए यह लक्ष्य जल्दी हासिल करना आसान है क्योंकि इनकी आबादी बड़े राज्यों के मुकाबले काफी कम है।

'उल्लास' कार्यक्रम स्वयंसेवा के माध्यम से कार्यान्वित, सामाजिक जिम्मेदारी और 'कर्तव्य बोध' की भावना को बढ़ावा देते हुए शिक्षार्थियों को दीक्षा पोर्टल व उल्लास मोबाइल ऐप के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में शैक्षणिक अध्ययन के लिए भी प्रोत्साहित करता है। शिक्षार्थियों और स्वयंसेवी शिक्षकों को दिए जाने वाले प्रमाणपत्र इनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जिससे निरंतर प्रगति होती है। "उल्लास" का वित्तीय परिव्यय 1037.90 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी क्रमशः 700 करोड़ और 337.90 करोड़ रुपये है। उल्लास योजना के अंतर्गत, अब तक देश भर में 1.77 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी कार्यात्मक साक्षरता एवं संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा में शामिल हो चुके हैं। उल्लास मोबाइल ऐप पर 2.40 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी और 41 लाख स्वयंसेवी शिक्षक पंजीकृत हो चुके हैं। निस्संदेह इस दिशा में भारत सरकार के साथ–साथ राज्यों के प्रयास सराहनीय है परंतु समाज के सभी वर्गों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए विकसित भारत के निर्माण में अपना सहयोग देना चाहिए। यह कहा जाता हैं हि 'समाज का कल्याण घर से शुरू होता है' अर्थात परिवार के भीतर व्यक्तिगत कार्य और आदतें समुदाय के समग्र कल्याण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह विचार बताता है कि सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन व्यक्तियों द्वारा स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देने, अच्छे मूल्यों का पालन करने और अपने निकट परिवार के कल्याण में योगदान देने से शुरू होता है। अतः अपने महान राष्ट्र को पूर्ण साक्षर राष्ट्र बनाने के लिए यदि समाज के सभी वर्ग अपने बच्चों को शिक्षित एवं संस्कारवान बनाएं तो उनकी उन्नति के साथ–साथ देश भी प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।

सुख समृद्धि का मिलता है जहान।
अगर शिक्षित, संस्कारी हो संतान।।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के तत्वावधान में आयोजित राजभाषा प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत संस्थान के कर्मचारी

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के कर्मचारियों ने वर्ष 2024–25 के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के तत्वावधान में नराकास (कार्यालय), नौएडा के सदस्य कार्यालयों के द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लिया और पुरस्कार प्राप्त किए। वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा के द्वारा दिनांक 20.12.2024 को आयोजित राजभाषा और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें नराकास (कार्यालय), नौएडा के 17 सदस्य कार्यालयों के 37 कार्मिकों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के श्री मनवीर सिंह भंडारी, स्टेनो सहायक ग्रेड–II और नरेश कुमार, सहायक ग्रेड–I ने क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान तथा केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, कार्यालय प्रधान आयुक्त, सैक्टर–48 के श्री दीपक कुमार, हवलदार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रोत्साहन पुरस्कार विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं:

श्री विनोद कुमार, उच्च श्रेणी लिपिक, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, सैक्टर–24; श्री तपेश कुमार, सहायक, राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद, सैक्टर–62; सुश्री भावना, कार्यकारी सहायक केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, कार्यालय प्रधान आयुक्त, सैक्टर–48; श्री नरेंद्र सिंह चौहान, कार्यकारी सहायक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, सैक्टर–62; श्री मोहम्मद फैसल, प्रयोगशाला विश्लेषक, फुटवियर डिजाइन एंड डेव्लपमेंट इंस्टीट्यूट, सैक्टर–24; और श्री विवेक शर्मा, कार्यकारी सहायक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, सैक्टर–62।

पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री मनवीर सिंह भंडारी

साथ ही, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नौएडा–दादरी रोड, फेज–II, नौएडा के द्वारा दिनांक 26.11.2024 को स्व–रचित हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान से श्री राजेश कुमार कर्ण, स्टेनो सहायक ग्रेड–I और श्रीमती निधि अग्रवाल, स्टेनो सहायक ग्रेड–II ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में श्री राजेश कुमार कर्ण, स्टेनो सहायक ग्रेड–I ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को दिनांक 29.01.2025 को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नौएडा सैक्टर–62, नौएडा में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा की 48वीं बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्मानित किया गया।

पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री नरेश कुमार

पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री राजेश कुमार कर्ण

पिता की वेदना*

'मेरे पिता अब बूढ़े हो चुके थे और चलते समय दीवार का सहारा लिया करते थे। धीरे–धीरे दीवारों पर उनकी उंगलियों के निशान उभरने लगे–चुपचाप उनकी निर्भरता और कमज़ोरी की कहानी कहने वाले निशान।' 'मेरी पत्नी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर शिकायत करतीं कि दीवारें गंदी हो रही हैं। एक दिन पिताजी को सिरदर्द था। उन्होंने सिर पर तेल लगाया और दीवार का सहारा लेकर चले जिससे तेल के दाग भी दीवारों पर लग गए। इस पर पत्नी ने मुझ पर नाराज़गी जताई। मैंने गुस्से में पिताजी को डाँट दिया, कठोर शब्दों में कहा कि वो दीवार को न छुएं। पिताजी चुप हो गए। उनकी आँखों में दर्द था। मैं भी शर्मिंदा था, पर कुछ कह नहीं पाया।'

'उस दिन के बाद पिताजी ने दीवार का सहारा लेना छोड़ दिया। एक दिन संतुलन बिगड़ने से वे गिर पड़े। कूल्हे की हड्डी टूट गई। सर्जरी हुई, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया... और कुछ ही दिनों में वे हमें छोड़कर चले गए। मेरे दिल में गहरा पछतावा था। मैं उनकी वे नज़रें कभी नहीं भूल पाया, न ही खुद को माफ़ कर पाया।' 'कुछ समय बाद हमने घर पेंट करवाने का सोचा। पेंटर आए तो मेरा बेटा, जो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था, दीवार के उन हिस्सों को पेंट नहीं करने देना चाहता था, जहाँ दादाजी की उंगलियों के निशान थे।'

'पेंटर बहुत समझदार और रचनात्मक थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे उन निशानों को नहीं मिटाएंगे,' 'बल्कि उनके चारों ओर सुंदर गोल डिज़ाइन बना देंगे ताकि वे दीवार की सजावट का हिस्सा बन जाएँ और ऐसा ही हुआ। धीरे–धीरे वे निशान हमारे घर की पहचान बन गए। जो भी घर आया, दीवार के उस हिस्से की तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाया, बिना ये जाने कि उसके पीछे एक कहानी है।'

'समय बीतता गया। मैं भी अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन चलते समय मुझे भी दीवार का सहारा लेना पड़ा। तभी मुझे याद आया कि मैंने पिताजी से क्या कहा था, और मैंने खुद को बिना सहारे चलाने की कोशिश की।'

'मेरा बेटा ये देख रहा था। वह तुरंत मेरे पास आया और बोला, "पापा, दीवार का सहारा लीजिए, आप गिर सकते हैं।" और फिर मेरी पोती दौड़कर आई और बोली, "दादू, आप मेरे कंधे का सहारा लीजिए।"' 'मेरी आँखों से आँसू बहने लगे।'

'काश, मैंने भी अपने पिताजी के लिए यही किया होता.... शायद वे कुछ और समय हमारे साथ रहते।' 'उन्होंने मुझे सोफ़े पर बिठाया। फिर मेरी पोती अपनी ड्रॉइंग बुक ले आई। उसने मुझे दिखाया–उसकी टीचर ने उसकी पेंटिंग की बहुत तारीफ़ की थी.....।'

'उस तस्वीर में वही दीवार थी, जिस पर दादाजी के उंगलियों के निशान थे,।' 'नीचे टिप्पणी थी –'हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपने बड़ों से ऐसे ही प्यार करे।' 'मैं अपने कमरे में गया, पिताजी से माफ़ी माँगी... और बहुत रोया'। 'एक दिन हम सब भी बूढ़े होंगे, अगर अभी आपके घर में बुजुर्ग हैं, तो उनका ध्यान रखिए, उन्हें प्यार दीजिए, आदर दीजिए और अपने बच्चों को यही सबक अपने व्यवहार से सिखाइए..!' 'यह कहानी मेरे दिल को गहराई से छू गई।' 'मैं इसे उन सभी मित्रों से साझा करना चाहता हूँ, जो अब उम्र के उस दौर में हैं, जब पिछली पीढ़ी पीछे छूट रही है..!'

'हम सबने शायद कभी न कभी कोई गलती की है,' 'अब वक्त है – सुधरने का..!!'

सोशल मीडिया से संकलित

जिंदगी तो नाम है बस चलने का

निधि अग्रवाल*

मन हो जाता है व्यथित, अक्सर ऐसी कुछ बातों से ।
क्यूँ हार जाता है इंसान, खुद ही अपने जज्बातों से ।।

क्या हुआ अगर माँ पापा ने, तुमको थोड़ा सा डाँट दिया ।
गुस्से में क्यूँ तुमने अपनी, जीवन डोरी को काट लिया ।।
इस क्रोध की अग्नि को तुम, थोड़ा दो समय पिघलने का ।
क्यूँकि, जिंदगी तो नाम है बस चलने का ।।

क्या हुआ परीक्षा में जो, कुछ नंबर कम आए हैं ।
इन अंकों की खातिर, कितनी साँसें थम जाए हैं ।।
जरा रुको थोड़ा ठहरो, फिर मौका देगी ये संभलने का ।
क्यूँकि, जिंदगी तो नाम है बस चलने का ।।

क्या हुआ अगर मनमर्जी की, ना नौकरी मिल सकी है ।
क्यूँ अपनी जीने की चाह, तुमने खत्म ही कर दी है ।।
मेहनत करो है समय अभी, सूरज की भाँति जलने का ।
क्यूँकि, जिंदगी तो नाम है बस चलने का ।।

क्या हुआ जो साथ प्रेमी के, विवाह सूत्र में न बँधे हो।
प्रेम परिवार का भुलाकर, मौत को लगाते क्यूँ गले हो ।।
दो अवसर खुद को, नए हमसफर के साथ ढलने का ।
क्यूँकि, जिंदगी तो नाम है बस चलने का ।।

क्या हुआ अगर जीवनसाथी, इस दुनिया से ही दूर हुआ ।
क्यूँ खुद की साँसों से भी यूँ, रिश्ता तेरा कमजोर हुआ ।।
धीरज धरो प्रतीक्षा करो, हालात कुछ बदलने का ।
क्यूँकि, जिंदगी तो नाम है बस चलने का ।।

माना था मुश्किल दहेज का लालच, रखने वालों संग रह पाना।
लेकिन क्यों तोड़ दिया तुमने, अपनी साँसों का ताना–बाना ।।
खुद के अंत से पहले सोचा होता, उस रिश्ते और घर से निकलने का ।
क्यूँकि जिंदगी तो नाम है बस चलने का ।।

बस एक बात चाहती हूँ मैं समझना, क्या इतना आसान है मरना ।
जीवन एक बार मिला है जो, क्यूँ इसको खुद ही खत्म है करना ।।
कर थोड़ा इंतजार, एक नए दिन के खिलने का ।
क्यूँकि जिंदगी तो नाम है बस चलने का।।

जिंदगी अनमोल है बहुत, ईश्वर का है तोहफा ।
इसे ना व्यर्थ करो, रहकर किसी से भी खफा ।।
वक्त निकालो अपनों से, जाकर थोड़ा मिलने का ।
क्यूँकि, जिंदगी तो नाम है बस चलने का ।।

*आशुलिपिक ग्रेड–II, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

ऑपरेशन सिंदूरः आतंकवाद को जड़ से खत्म करने लिए प्रतिबद्ध भारत

राजेश कुमार कर्ण*

भारत का इतिहास हजारों वर्ष का है। भारत का चरित्र अजेय रहने, विजयी रहने का है, लेकिन किसी के हक को छीनना भारत का चरित्र नहीं है। किसी भी युग में भारत ने किसी की जमीन पर निगाह नहीं डाली है, लेकिन जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बनाकर बैठ जाए और भारत के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दे, तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि अब भारत बदल चुका है। जब 22 अप्रैल 2025 को जम्मू–कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी, उससे पूरा देश व्यथित हो उठा। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई तो किसी ने अपना जीवन–साथी। यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ, बल्कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया था।

यही कारण रहा कि भारत ने हमला करने वाले आतंकियों और हमले की साजिश रचने वालों को कल्पना से बड़ी सजा देने का प्रण ले लिया। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा–शक्ति ने आतंक के आकाओं की कमर तोड़ने का निश्चय किया। अपने इसी निर्णय पर आगे बढ़ते हुए भारत ने अपनी भूमि पर हुए हमले का जवाब देने के स्व–अधिकार का इस्तेमाल किया और भारतीय सशस्त्र बलों ने 6–7 मई 2025 की रात में 'ऑपरेशन सिंदूर' संचालित किया। इस अभियान के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू–कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए गए। यह ऐसे चिन्हित स्थान थे, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई और उन्हें निर्देशित किया गया। कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत की यह कार्रवाई केंद्रित, नपी–तुली और बिना किसी उकसावे वाली रही है। इस दौरान, किसी भी पाकिस्तानी नागरिक प्रतिष्ठान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। भारत ने अपने लक्ष्यों के चयन और उन्हें निशाना बनाने में काफी संयम दिखाया।

पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी प्रशिक्षण केंद्र और शिविरों को नष्ट करने में सटीकता, सावधानी और चेतनापूर्वक कार्रवाई कर सशस्त्र बलों ने इतिहास रचा है। आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति ही इस बार हमारी आवरण कथा बनी है।

उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, और अब ऑपरेशन सिंदूर प्रतीक बन गया है नए भारत के संयम, साहस और शौर्य का। प्रतीक बन गया है उस नए भारत के नेतृत्व पर विश्वास का, जिन पर देश के नागरिकों ने 2014 से लेकर अब तक निरंतरता के साथ भरोसा जताया है। पहलगाम में आतंकी हमले के एक पखवाड़े के भीतर ही 6–7 मई की मध्य रात्रि को भारत ने पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उसे ध्वस्त कर दिया। धरती का स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर घाटी 22 अप्रैल को पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद दुनिया में सुर्खियां बनी, जहां बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष और मासूम पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों में एक नेपाली नागरिक भी शामिल है। वहीं, 17 लोग घायल हो गए। पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आतंकियों ने सबसे पहले उनसे धर्म पूछा, इसके बाद नृशंसता के

*आशुलिपि सहायक ग्रेड – I, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

साथ एक–एक कर लोगों को नजदीक से गोली मारी। आजादी के बाद से धार्मिक आधार पर निर्दोष पर्यटकों की हत्या का यह पहला मामला था। पहलगाम की बैसरन घाटी में किए गए कायराना आतंकी हमले के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए कड़े संदेश स्पष्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की सरपरस्ती वाले आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे, बल्कि आतंकी और साजिश रचने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकी हमले के एक पखवाड़े के भीतर भारतीय सेना की मिसाइलों ने 6–7 मई 2025 की देर रात 1 बजकर 5 मिनट से 1 बजकर 30 मिनट के बीच ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर 25 मिनट तक हिजबुल मुजाहिद्दीन, लश्कर–ए–तैयबा और जैश–ए–मोहम्मद के मुख्यालय सहित नौ आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 'ऑपरेशन सिंदूर' के जारी रहते हुए ही भारतीय सेना ने एक ट्वीट कर दुनिया को इस तरह संदेश दिया– 'प्रहाराय सन्निहिताः, जयाय प्रशिक्षिताः' रेडी तो स्ट्राइक, ट्रेंड तो विन. यानी प्रहार करने को तैयार, जीतने के लिए प्रशिक्षित। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक या लद्दाख में गलवान घाटी पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के उल्लंघन का प्रयास हो या फिर नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश या फिर अन्य सीमाओं पर अतिक्रमण के प्रयास या पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर', भारतीय सेना हर कुत्सित प्रयास का न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दे रही है, बल्कि अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत ने दुनिया को दो–टूक संदेश दे दिया है कि आज किसी में भी इतना साहस नहीं कि उसकी एक इंच जमीन पर आंख उठाकर देख सके।

भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ हुई कार्रवाई से भड़के पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिकों को निशाना बनाने के लिए हमला किया। उसने कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसकी हर नापाक हरकत को नाकाम कर दिया। इस हमले को भारत की आधुनिक रक्षा प्रणाली ने हवा में ही विफल कर दिया। उसके बाद भारत ने भी कड़ा प्रतिकार करते हुए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि उसकी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन दुश्मन देश अगर कोई नापाक हरकत करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ चल रहा 'ऑपरेशन सिंदूर' उसके खात्मे तक जारी रहेगा।

'ऑपरेशन सिंदूर' से भारत ने दुनिया को दो–टूक संदेश दे दिया है कि वह अमन–शांति का पैरोकार है और युद्ध नहीं चाहता लेकिन आतंकवाद को अब नासूर नहीं बनने देंगे। बीते 11 वर्ष में आतंकी ठिकानों पर तीन स्ट्राइक से स्पष्ट है कि भारत के 140 करोड़ नागरिक आतंकवाद को मुहंतोड़ जवाब देने के लिए एकजुटता के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीयों का मस्तक ऊंचा हुआ है। सेना ने पराक्रम का परिचय दिया, सटीक ऑपरेशन किया है। सेना ने मस्तक ऊंचा किया। मैं उनके शौर्य को नमन करता हूं। भारत ने हनुमान जी के आदर्श का पालन करते हुए केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने मासूमों को मारा... पाकिस्तान और पीओके में की गई कार्रवाई के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से स्पष्ट है कि यह न सिर्फ सैन्य शक्ति प्रदर्शन है बल्कि पड़ोसी देश को स्पष्ट संदेश भी है कि भारत अपने नागरिकों या भारत की आत्मा पर किए जाने वाले हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा।

पहलगाम हमले का बदला कितना घातक होगा, इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकी हमले के बाद एक्स पर साझा की गई पोस्ट, अगले दिन मधुबनी में दिए गए संबोधन और मन की बात कार्यक्रम में संकेत मिल गए थे। दरअसल, 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर कायराना हमला किया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अधिकारियों से इस मुद्दे पर बात की। गृह मंत्री अमित शाह भी जानकारी मिलते ही तुरंत कश्मीर के लिए रवाना हो गए। देर रात श्रीनगर पहुंचते ही केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री खुद अपना दौरा बीच में ही छोड़कर स्वदेश वापस लौट आए। 23 अप्रैल 2025 की सुबह दिल्ली पहुंचते ही हवाई अड्डे पर ही उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के साथ बैठक ली। उधर, गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा करने के साथ ही मृतकों के परिजन और घायलों से मुलाकात कर स्पष्ट शब्दों में आतंक के आकाओं और पनाह देने वालों को किसी भी सूरत में न छोड़ने की बात कही।

नरसंहार के अगले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 अप्रैल सुबह करीब ढाई घंटे चली बैठक में तीनों सेना के अध्यक्ष, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, एनएसए और रक्षा सचिव के साथ जम्मू–कश्मीर में हमले के बाद उपजे हालात और कार्रवाई के विकल्पों पर चर्चा की। 23 अप्रैल सुबह ही उरी में आतंकी घुसपैठ का मामला सामने आया, सेना ने दो आतंकियों को ढेर किया। पहलगाम नरसंहार में शामिल तीन आतंकियों के स्केच जारी किए गए। पहलगाम नरसंहार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के लिए रक्षा मामलों से संबंधित कैबिनेट समिति की बैठक 23 अप्रैल शाम करीब 6 बजे शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में करीब ढाई घंटे चली बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी के 5 निर्णय की जानकारी दी। सीसीएस में भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने समेत 5 बड़े फैसले लिए। सिंधु जल समझौता स्थगित करने के फैसले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान को चिठ्ठी भेजकर इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी गई। जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मुर्तजा को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि यह संधि अच्छे संदर्भ में की गई थी, लेकिन अच्छे रिश्तों के बिना इसे बनाए नहीं रखा जा सकता। 25 अप्रैल को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, मोदी सरकार द्वारा सिंधु जल संधि पर लिया गया ऐतिहासिक निर्णय पूर्णतः न्यायसंगत और राष्ट्रहित में है। हम ख्याल रखेंगे की पाकिस्तान में सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी नहीं जाए।'

इससे पहले 24 अप्रैल 2025 को बिहार के मधुबनी में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी और उन्हें शरण देने वालों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन–साथी खोया है। मैं बिहार की धरती से पूरी दुनिया को कहना चाहता हूं कि हम इन आतंकियों और इन्हें पोसने वालों को मिट्टी में मिला देंगे। 24 अप्रैल 2025 को ही पार्लियामेंट एनेक्सी में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पहलगाम हमले और सरकार के प्रयासों से संबंधित कदमों की जानकारी दी गई। इसके बाद 26 अप्रैल 2025 को पहलगाम नरसंहार से जुड़े और कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने वाले कई आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए गए। फिर 30 अप्रैल को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल समेत एक्स अकाउंट हैंडल पर देश में प्रतिबंध लगा दिया गया। 30 अप्रैल को ही एक बार फिर प्रधान मंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीएस बैठक का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आर्थिक मामलों और राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता भी की। 30 अप्रैल को ही भारत ने पाकिस्तान के विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया।

इतना ही नहीं, भारत ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करते हुए देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन शुरू कर दिया और 6–7 मई की आधी रात निर्णायक रूप से पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया।

भारत की आत्मरक्षा का ऑपरेशन सिंदूर एयरस्ट्राइक

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद 7 मई की सुबह 10.30 बजे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के साथ सेना की दो महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने विस्तृत जानकारी प्रेस को दी। प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि 6–7 मई 2025 की रात 1 बजकर 5 मिनट से 1 बजकर 30 मिनट के बीच भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए वीभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 आतंकी कैंप को टारगेट करके पूरी तरह से इसे बर्बाद किया। किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया।

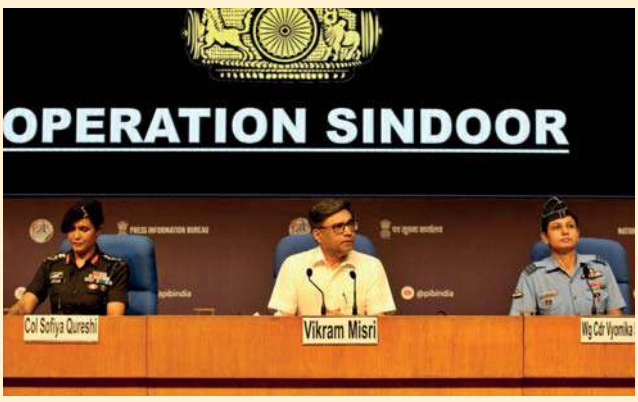

कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान में पिछले तीन दशक में व्यवस्थित तरीके से आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। यह भर्ती, प्रशिक्षण केंद्र, प्रारंभिक पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र के साथ ही संचालकों के लॉन्च पैड का जाल है जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में फैले हैं। यह कैंप उत्तर में सवाई नाला से लेकर दक्षिण में बहावलपुर तक फैले हैं, जिनकी संख्या लगभग 21 है। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंकी गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके। यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान आधारित आतंकी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। इसलिए, इन्हें रोकना और इनसे निपटना बेहद आवश्यक समझा गया। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने, उन्हें रोकने और उनका प्रतिरोध करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्रवाई नपी तुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारी पूर्ण है। यह आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले आतंकवादियों को असक्षम बनाने पर केंद्रित रही है। विदेश सचिव ने कहा कि 25 अप्रैल, 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधी, आयोजक, फाइनेंशर और प्रयोजकों को जवाबदेह ठहराने एवं उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि यह स्वभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू–कश्मीर के साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ कुछ कदम उठाए जिसकी घोषणा 23 अप्रैल 2025 को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल 2025 के हमले के अपराधियों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कारवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है।

उधर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने स्थिति से अवगत कराने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सरकार के मंत्रियों सहित विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। सभी दलों के नेताओं ने एयरस्ट्राइक की सराहना करने के साथ ही सरकार के हर निर्णय, सेना की हर कार्रवाई में साथ देने की बात कही है। विपक्षी दल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से कहा है कि जो काम कर रहे हैं, करते रहिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों के एक लाइन पर बयान आ रहे हैं। यह भी बहुत अच्छी बात है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित घटनाक्रम के बीच स्थिति से निपटने की राष्ट्रीय तैयारी और अंतर–मंत्रालयी समन्वय को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार के सचिवों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने निरंतर सतर्कता, संस्थागत तालमेल और स्पष्ट संचार का आह्वान करने के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, परिचालन तत्परता और नागरिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। बैठक में पीएम मोदी ने वर्तमान स्थिति से निपटने की योजना और तैयारी की समीक्षा के दौरान मंत्रालय और एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। सचिवों को संबंधित मंत्रालय की तत्परता, आपातकालीन प्रतिक्रिया और आंतरिक संचार प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान देने और त्रुटि मुक्त कामकाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना, गलत सूचना और फर्जी खबरों से निपटने के प्रयास और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर चर्चा करने के साथ ही मंत्रालयों को राज्य अधिकारियों और जमीनी स्तर की संस्थाओं के साथ निकट समन्वय बनाए रखने की भी सलाह दी गई।

विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की मॉनिटरिंग टीम को दिसंबर, 2023 में भी भारत ने लश्कर–ए–तैयबा और जैश–ए–मोहम्मद के बारे में सूचित किया था जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को ज्वाइंट सिक्योरिटी काउंसिल

प्रेस वक्तव्य से टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर–ए–तैयबा के ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रि–पोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चदश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकार और उनके संबंधों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमापार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं।

पाकिस्तान दुनियाभर में आतंकवादियों के लिए एक शरणस्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। पाकिस्तान ने इन मुद्दों पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों को भी जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला जिसमें एक आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव के परिणामस्वरूप वह जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है।

पहलगाम में हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी थी। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें नसीहत भी दी गई कि वह वापस जाकर इस संदेश को पहुंचाएं। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया, क्योंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए। पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमापार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर एवं शेष राष्ट्र दोनो में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित है। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया।

एक समूह ने खुद को द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) कहते हुए हमले की जिम्मेदारी ली। यह समूह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर–ए–तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर, 2024 में संयुक्त राष्ट्र की मॉनिटरिंग टीम को अर्ध वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी।

जम्मू–कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यह शब्द आजादी के बाद से हर भारतीयों के मन–मस्तिष्क में छाया हुआ था, लेकिन ऐसा लगने लगा था कि जम्मू–कश्मीर में कुछ नहीं बदलेगा। समय बदला नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति ने जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाकर वास्तव में जम्मू–कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर अब केसर के रंग, कहवा का स्वाद, सेब का मीठापन और खुबानी का रसीलापन, कश्मीरी शॉल, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और हर्बल मेडिसिन की वजह से दुनिया में अपनी नई पहचान बना रहा है।

6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में कोई भी अगला कदम उठाने से पहले परिणाम की चेतावनी देते हुए कहा था कि हम हर तरह का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन, इसके बावजूद पाकिस्तान ने 8 मई 2025 की सुबह भारत के अवंतिपुरा, जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, उत्तरलाई, फलोदी और भुज स्थित सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। इन इलाकों से हमले की कोशिश में इस्तेमाल पाकिस्तानी हथियारों के अवशेष बरामद किए हैं। इस हमले का जोरदार जवाब देते हुए भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हताष पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर मोर्टार और भारी कैलिबर आर्टिलरी का उपयोग किया। निर्दोष नागरिकों पर इस

गोलाबारी में 3 महिलाओं और 5 बच्चों समेत 16 लोगों को जान गंवानी पड़ी।

8–9 मई 2025 की रात पाकिस्तान ने एक बार फिर करीब 400 ड्रोन के जरिए लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 जगह भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय रक्षा प्रणाली ने इन सभी को मार गिराया। भारत की ओर इस हमले की जोरदार प्रतिक्रिया से बचने के लिए पाकिस्तान ने अपने यहां नागरिक विमानों का आवागमन जारी रखा, ताकि वह इन्हें ढाल की तरह उपयोग कर सके। भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में संयम दिखाया और अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा तय की।

दिल्ली विश्वविद्यालय में सीनियर प्रोफेसर निरंजन कुमार के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के समय एक अन्य स्तर पर भी लड़ाई छिड़ी हुई थी। यह लड़ाई प्रतीकात्मक, सांकेतिक और नैतिकता के धरातल पर चल रही थी। इस नैरेटिव युद्ध में भी भारत ने विजय पाई और वैश्विक पटल पर भी अपनी नैतिक श्रेष्ठता एवं साफ्ट पावर का ध्वज लहराया। युद्ध में प्रतीकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि विभिन्न प्रतीकों–शब्दों, चिह्नों, विचारों और कविता–कहानियों या शास्त्रीय आधार पर भी लड़ा जाता है। ये प्रतीक युद्ध में प्रभाव, शक्ति और वैधता के उपकरण भी होते हैं, जो संबंधित राष्ट्र की वैचारिकी और साफ्ट पावर को संप्रेषित करते हैं, सैन्य कार्रवाईयों को वैधता प्रदान करते हैं। लोगों में एकता का भाव भरने के साथ ही गहरी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी जगाते हैं। भारत ने इस संघर्ष में प्रतीकों का उपयोग रणनीतिक और सांस्कृतिक दोनों रूपों में किया। हमने घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनमत को प्रभावित करते हुए एक प्रभावशाली नैरेटिव बनाने का सफल प्रयास भी किया। इस कड़ी में आपरेशन सिंदूर नाम ही सूक्ष्म प्रतीकात्मकता और गहरी अर्थवत्ता लिए हुए है। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, भावनात्मक और राजनीतिक संकेत भी था। भारतीय समाज में विवाहित स्त्री के लिए सिंदूर उसके सम्मान, सुरक्षा और पवित्रता का प्रतीक होता है। 'सिंदूर' का लाल रंग शौर्य, पराक्रम और बलिदान का भी प्रतीक है, जिसकी जीती–जागती मिसाल भारतीय सेना है।

आपरेशन सिंदूर के शुरुआती दिनों में महिला अधिकारी सैन्य परिधान में प्रेस कांफ्रेस में आईं। उन्होंने देश की नारी शक्ति का परिचय दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की कार्रवाई केवल सामरिक नहीं, बल्कि यह अधर्म के विरोध में धर्म की रक्षा के लिए है। यहां धर्म का अर्थ कोई धर्म या मजहब नहीं। धर्म का अर्थ यहां सत्य और न्याय है, जबकि अधर्म का अर्थ असत्य एवं अन्याय के पक्ष में खड़ी आसुरी आतंकवादी ताकतें यानी पाकिस्तानी सेना है। इसी परिप्रेक्ष्य में गीता के श्लोक 'यदा यदा हि धर्मस्य...' का भी उल्लेख किया गया। सैन्य टकराव के बीच ही प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध का भी स्मरण किया। बुद्ध शांति के अन्यतम प्रतीक हैं। मोदी जी ने जहां यह कहा कि यह समय युद्ध का नहीं, वहीं यह भी स्पष्ट किया कि यह वक्त आतंकवाद का भी नहीं है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि शांति का मार्ग शक्ति के माध्यम से ही प्रशस्त होता है। भारत न युद्ध चाहता है और न युद्ध से डरता है। वह शांति चाहता है, लेकिन अपनी सीमाओं–नागरिकों की रक्षा के लिए वह पूर्ण संकल्पित है।

युद्ध के समय जनता और सैनिकों का मनोबल बनाए रखने और अपनी कार्रवाई को न्यायोचित दिखाने के लिए एक अन्य शास्त्रीय प्रतीक था 'शिव तांडव स्तोत्र', जो आपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के दौरान सुनाया गया। यह सेना के शौर्य और पावन समर्थन का प्रतीक था, जिसने सैन्य कार्रवाइयों को भारत की महान सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जोड़ा। 'शिव तांडव स्तोत्र' भारतीय सेना के लिए शुद्ध धार्मिकता से परे एक युद्ध गीत की भांति है, जो शक्ति, साहस और नैतिकता का स्रोत भी है। यह स्तोत्र अत्याचारी के विनाश एवं विश्व के कल्याण की भारतीय दृष्टि को भी रूपायित करता है, जो शिव के तांडव नृत्य का संदेश है। भाषा, शब्द और साहित्य का भी अपना प्रतीकात्मक महत्व है जो संप्रेषण और नैरेटिव में प्रभावशाली भूमिका निभाता है। आपरेशन सिंदूर को न्यायसंगत ठहराते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने तुलसीदास की चौपाई का उल्लेख किया–'जिन मोहि मारा, तिन मोहि मारे.' यानी हमने उन्हीं अर्थात केवल आतंकवादियों को मारा, जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। सेना की प्रेस ब्रीफिंग में रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों 'हित–वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन–जय या कि मरण होगा' के उल्लेख ने भी चमत्कारी प्रभाव पैदा किया। इस प्रभाव को एयर मार्शल एके भारती ने यह कहकर और स्पष्ट किया कि 'भय बिनु होय न प्रीति' अर्थात बिना दंड एवं डर के दुष्टों को समझ नहीं आता। यह संदेश पाकिस्तानी सेना के साथ–साथ अन्य

आतंकियों के लिए भी था। भारतीय सेना की वीरता के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा गुरु गोबिंद सिंह की पंक्ति 'सवा लाख ते एक लड़ाऊं' को उद्धृत करना भी सेना में उत्साह का संचार करने के लिए ही था।

हमारी सामरिक सामग्री के नाम भी सत्य एवं न्याय के प्रतीक हैं। भारत पर पाकिस्तानी हमलों को हमारी जिस रक्षा प्रणाली ने विफल कर दिया, उसमें एस–400 को सुदर्शन भी कहते हैं। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का दिव्य शस्त्र है, जिसका प्रयोग उन्होंने धर्म अर्थात सत्य एवं न्याय की रक्षा और अधर्म यानी असत्य एवं अन्याय के विनाश के लिए किया। इसी तरह पाकिस्तानी आतंकी और सैन्य अड्डों को नष्ट करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल हमारे शास्त्रों में वर्णित ब्रह्मास्त्र का प्रतीक है। दूसरी ओर, पाकिस्तानी सेना की मिसाइलें बाबर, गजनी, गोरी इत्यादि वहशी लुटेरों, आक्रांताओं और जिहादी मानसिकता वाले लोगों के नाम पर हैं। यह पाकिस्तानी सेना–सरकार की जिहादी, उन्मादी वैचारिकी को ही रेखांकित करता है। स्पष्ट है कि भारत ने पाकिस्तान पर न केवल अपनी सैन्य श्रेष्ठता सिद्ध की, बल्कि अपने सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से संसार को यह संदेश भी दिया कि भारत शक्ति और शांति का वैश्विक प्रतीक है और इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद सबसे पहले भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का कठोर निर्णय लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सिंधु जल संधि पर कहा कि 'भारत ने अब निर्णय ले लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। लोगों को अहसास हो गया है कि सिंधु जल संधि अन्यायपूर्ण थी। सिंधु नदी प्रणाली के पानी से दुश्मन की जमीनों की सिंचाई होती रही, जबकि हमारे किसान कष्ट झेलते रहे।' लोकसभा में आपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान भी उन्होंने कहा था कि 'भारत के राष्ट्रीय हितों को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा बार–बार गिरवी रखा गया। सिंधु और झेलम जैसी नदियां, जो कभी भारत की पहचान का पर्याय थीं, भारत की अपनी नदियां और जल होने के बावजूद मध्यस्थता के लिए विश्व बैंक को सौंप दी गईं। यह भारत के स्वाभिमान और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ एक विश्वासघात था।' केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी के अनुसार सिंधु जल संधि को स्थगित करने का निर्णय वह साहसिक फैसला, है, जो पहले कभी नहीं लिया गया। इस साहसिक निर्णय ने आतंक के विरुद्ध भारत के सोच, कठोर कार्रवाई और रणनीति को दुनिया के समक्ष पूरी स्पष्टता से साबित किया है। सिंधु जल संधि हमारी स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में की गई ऐतिहासिक गलतियों और भूलों में से एक थी। 1960 की सिंधु जल संधि में सैद्धांतिक रूप से पाकिस्तान और भारत के बीच 80:20 के अनुपात में सिंधु जल प्रणाली के वितरण पर सहमति व्यक्त की गई। इस प्रणाली से पाकिस्तान को एक बड़ा हिस्सा मिलने के अलावा संधि ने रावी, व्यास और सतलुज की तीन पूर्वी नदियों के पानी को भारत के उपयोग के लिए और सिंधु, झेलम और चेनाब की तीन पश्चिमी नदियों के पानी को पाकिस्तान के उपयोग के लिए अनुमति दी गई। उस समय प्रचलित धारणा यह थी कि भारत ने कुछ भी हासिल किए बिना पाकिस्तान को बहुत अधिक रियायत दे दी। पार्टी लाइन के विपरीत कांग्रेस के सांसदों की भावना यह थी कि इस निर्णय से राजस्थान राज्य सबसे अधिक प्रभावित होगा। पंडित नेहरू इससे बेपरवाह दिखे और उन्होंने सदन के सदस्यों का 'एक बाल्टी पानी' को मुद्दा बनाने के लिए उपहास किया। पंडित नेहरू के जवाब से असंतुष्ट अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि 'समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति का यह कहना था कि नदी मार्गों के संयुक्त निरीक्षण की प्रक्रिया को स्वीकार करके भारत ने एक तरह से चेनाब और झेलम के ऊपरी क्षेत्र तक विस्तारित संयुक्त नियंत्रण के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है और संयुक्त नियंत्रण का अर्थ संयुक्त कब्जा है। यह सद्भावना और मित्रता स्थापित करने का तरीका नहीं। यदि पाकिस्तान कुछ गलत कहता है या गलत मांग करता है, तो इसका विरोध किया जाना चाहिए। अगर इससे रिश्ते खराब होते हैं, तो हम कभी भी अच्छे संबंध नहीं बना सकते।'

अब साढ़े छह दशक बाद सिंधु जल संधि को स्थगित करने का निर्णय एक साहसिक निर्णय है। भारत की प्रतिक्रिया बताती है कि किसी संधि का सम्मान सद्भावनापूर्वक करने का दायित्व किसी संधि के लिए मौलिक आवश्यकता है। पाकिस्तान द्वारा आतंक जारी रखना सद्भावना का माहौल खराब करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मंचों पर दोहराया है कि 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।' सिंधु जल संधि को स्थगित करने का विचार पहले भी कई बार किया गया, जैसे कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद, लेकिन फैसला नहीं किया जा सका। मोदी सरकार ने भारत के राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखते

हुए यह कठोर निर्णय लेने का साहसी काम किया। भारत अब अपनी बदली हुई जनसांख्यिकी, कृषि और सिंचाई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक नया दृष्टिकोण विकसित कर सकता है और अपने ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकास में और तेजी ला सकता है।

'संपूर्ण राष्ट्र' दृष्टिकोण से राष्ट्र रक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार एक मजबूत, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत के दृष्टिकोण को साकार कर रही है। आज का भारत साहसी और मजबूत है, सशस्त्र बल देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है। राष्ट्र को अपने बहादुर सैनिकों पर गर्व है जो निस्वार्थ भाव से मातृभूमि की सेवा करते हैं।

आज रक्षा अनुसंधान एवं विकास निजी क्षेत्र, शिक्षाविदों, एमएसएमई और स्टार्ट–अप के लिए खोल दिया गया है। इससे लंबे समय से लंबित रक्षा परियोजनाओं में एक नई गति आई है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी व्यापक हो गए हैं, युद्ध के तरीके भी बदल रहे हैं। पहले हम केवल जमीन, समुद्र और आकाश तक अपनी रक्षा की कल्पना करते थे। अब यह चक्र अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है, साइबर स्पेस की ओर बढ़ रहा है, आर्थिक, सामाजिक अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए आगे बढ़ना होगा और उसी के मुताबिक खुद को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आत्मनिर्भरता से देश को काफी मदद मिलेगी। जैसे एक आत्मनिर्भर भारत के लिए 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के साथ देश आगे बढ़ रहा है, उसी तरह, 'संपूर्ण राष्ट्र' का दृष्टिकोण राष्ट्र की रक्षा के लिए समय की आवश्यकता है। भारत के विभिन्न लोगों की सामूहिक राष्ट्रीय चेतना सुरक्षा और समृद्धि का मजबूत आधार है। इसी को आधार बनाकर भारत सशक्त, सुरक्षित, समर्थ सिद्ध हो रहा है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 138 देशों के बीच सैन्य ताकत के मामले में भारत का चौथा स्थान है। पहाड़ी और ऊंचाई के क्षेत्रों में लड़ने की क्षमता के मामले में दुनिया का कोई देश हमारे आगे नहीं ठहरता। इसलिए केंद्र सरकार अपने लगातार तीसरे कार्यकाल में एक मजबूत, अभिनव और आत्मनिर्भर रक्षा तंत्र विकसित करने के लिए अपने मौजूदा प्रयासों को नए सिरे से मजबूती प्रदान कर रही है।

निश्चित रूप से आज देश का प्रत्येक नागरिक गौरवान्वित महसूस कर रहा है क्योंकि हमारा राष्ट्र जीवंत चेतना है जिसे हम मां भारती के रूप में पूजते हैं। हमारे जवानों के तप और त्याग के कारण ही आज देश सुरक्षित है। देशवासी सुरक्षित हैं, सुरक्षित राष्ट्र ही प्रगति कर सकते हैं। भारतीय जवान सीमा के साथ–साथ देश में भी आतंकवाद जैसी चुनौतियों से लड़ रहे हैं तो प्राकृतिक आपदा के समय देवदूत बनकर हमारी रक्षा भी कर रहे हैं। उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने दुनिया को बता दिया है कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वह भी छोड़ता नहीं है। भारत के सुरक्षा बलों ने पहले भी कर दिखाया है और भविष्य में भी कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी।

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने दुनिया तक पहुंचाई भारत की आवाज

जम्मू–कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए कायराना आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सीमा पार आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला कर जल, थल और नभ में अपनी सामरिक शक्ति का शौर्य दिखाया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद और पूर्व राजनयिकों वाले सात भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा किया।

सात प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्वकर्ता शशि थरूर, कांग्रेस; रविशंकर प्रसाद, भाजपा; संजय कुमार झा, जदयू; बैजयंत जय पांडा, भाजपा; कनिमोझी करुणानिधि, डीएमके; सुप्रिया सुले, एनसीपी; श्रीकांत एकनाथ शिंदे, शिवसेना राष्ट्रीय एकता के शक्तिशाली प्रतिबिंब बनकर उभरे।

समूह 1: लोकसभा सांसद बैजयंत जय पांडा की अध्यक्षता में सांसद डॉ निशिकांत दुबे, एस फांगनोन कोन्याक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला ने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा की।

समूह 2: लोकसभा सांसद रवि शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में सासद डॉ दग्गुबाती पुरंदेश्वरी, प्रियंका चतुर्वेदी, गुलाम अली खटाना, डॉ. अमर सिंह, समिक भट्टाचार्य, डॉ. एम

थंबीदुरई, पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर और पूर्व राजदूत पंकज सरन ने यूनाइटेड किंग्डम, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, इटली और डेनमार्क की यात्रा की।

समूह 3: राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सांसद अपराजिता सारंगी, अभिषेक बनर्जी, बृज लाल, जॉन ब्रिटास, प्रदान बरुआ, डॉ. हेमांग जोशी, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, फ्रांस और बहरीन में भारत के पूर्व राजदूत मोहन कुमार ने इंडोनिशिया, मलेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान और सिंगापुर की यात्रा की।

समूह 4: लोकसभा सांसद डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सांसद बांसुरी स्वराज, ई टी मोहम्मद बशीर, अतुल गर्ग, डॉ. सस्मित पात्रा, मनन कुमार मिश्रा, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री एस एस अहलूवालिया और पूर्व राजदूत सुजान चिनॉय ने संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और सिएरा लियोन की यात्रा की।

समूह 5: लोकसभा सांसद डॉ शशि थरूर के नेतृत्व में सांसद सरफराज अहमद, जी एम हरीश बालयोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, मिलिंद देवड़ा, भुवनेश्वर कलिता, तेजस्वी सूर्या और अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने अमेरिका पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया की यात्रा की।

समूह 6: लोकसभा सांसद कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में सांसद राजीव राय, कैप्टन बृजेश चौटा, प्रेम चंद गुप्ता, डॉ. अशोक कुमार मित्तल, भारत के पूर्व राजदूत मंजीव सिंह पुरी ने स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस की यात्रा की।

समूह 7: लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सांसद राजीव प्रताप रूडी, मनीष तिवारी, अनुराग सिंह ठाकुर, लवु श्रीकृष्ण देवरायलु, विक्रमजीत सिंह साहनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनद शर्मा और पूर्व विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन एवं संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि रहे राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने मिस्र, कतर, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2025 को अपने आधिकारिक आवास पर सभी प्रतिनिधिमंडल सदस्यों से मुलाकात कर वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज को आगे बढ़ाने में उनके समर्पण के लिए सराहना की।

आतंक के खिलाफ भारत अब सिर्फ सबूत नहीं सौंपता बल्कि वह सख्त जवाब भी देता है। ऐसा जवाब जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के रूप में इसे पूरी दुनिया ने देखा। इसी कड़ी में ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताकर देश वापस लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अपनी यात्रा का अनुभव साझा किया। प्रतिनिधिमंडल ने नए संकल्प के साथ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की सच्चाइयों को दुनिया के सामने रखा। यह आतंकवाद के विरुद्ध भारत के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सभी रूप और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत की राष्ट्रीय सहमति और मजबूत दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया। साथ ही, उन्होंने दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का मजबूत संदेश दिया। जिस तरह से उन्होंने भारत की आवाज को आगे बढ़ाया, उस पर हम सभी को गर्व है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैन्य बलों की रणनीतिक कौशल, प्रहार क्षमता से लेकर जिम्मेदारी के साथ लक्ष्य हासिल करने के बहुमुखी आयामों की प्रशंसा की है। आपरेशन सिंदूर की हालिया सफलता हमारी आतंकवाद विरोधी और प्रतिरोध की रणनीति में एक निर्णायक पल है। चाहे परंपरागत खतरे हों, आतंकवाद या फिर मानवीय सहायता का मसला हमारी सेनाओं ने सभी तरह की चुनौती से निपटने के लिए कमाल की दृढ़ता दिखाई है। वैश्विक भू–राजनीतिक माहौल में हो रहे तेज बदलाव की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पावर सेंटर्स के बीच टकराव, टेक्नोलाजी में रुकावट और बदलते गठबंधनों से अतंर्राष्ट्रीय व्यवस्था को फिर से लिखा जा रहा है। प्रतिस्पर्धा के नए डोमेन साइबर, स्पेस, सूचना और काग्निटिव वारफेयर शांति और टकराव के बीच की लाइनों को धुंधला बना रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की भारत की संस्कृति से प्रेरित होकर हमने दिखाया है कि रणनीतिक स्वतंत्रता वैश्विक जिम्मेदारी के साथ रह सकती है। हमारी कूटनीति, अर्थव्यवस्था और सेनाएं मिलकर एक ऐसे भारत को दिखाती हैं जो शांति चाहता है, लेकिन अपनी सीमाओं और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए पूरी ताकत तथा दृढ़ता के साथ तैयार भी है। आपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने ना सिर्फ भारत की सैन्य क्षमता को देखा बल्कि जिम्मेदारी से शांति के लिए प्रयास करने की हमारी नैतिक स्पष्टता से भी रूबरू हुई।

महान संत कबीरदास के दोहों की प्रासंगिकता

गीता अरोड़ा*

नैतिकता भारतीय समाज का अभिन्न अंग रही है। शिष्टाचार, धार्मिक सहिष्णुता, परोपकार की भावना, निस्वार्थ सेवा और बड़ों एवं गुरुजनों के प्रति सम्मान भारतीय संस्कृति के मूल तत्व रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में भारत ने उद्योग, तकनीक, परिवहन और दूरसंचार आदि हर क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति की है। पश्चिमी संस्कृति और आधुनिकीकरण का प्रभाव भारत के हर क्षेत्र में तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय समाज के पारंपरिक रीति–रिवाजों और नैतिक मूल्यों का या तो अवमूल्यन हो रहा है या लोग अपनी सुविधानुसार उन्हें प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तकनीकी प्रगति के साथ यात्रा का समय, पत्राचार का समय घटकर काफी कम हो गया है फिर भी आज मानव के पास समय नहीं है। और इतने कम समय में वह सही–गलत की परवाह किए बिना अपार धन अर्जित करके समाज में तथाकथित प्रतिष्ठा हासिल करना चाहता है। यही मूल्य बच्चों में भी स्थानांतरित हो रहे हैं और वे भी विद्यार्थी जीवन से ही अनुचित साधनों का प्रयोग करके सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। हाल ही में राजस्थान की एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एम.टेक. के पेपर के दौरान एक छात्र को मोबाइल से नकल करते हुए पकड़ने पर छात्र ने केंद्र अधीक्षक और शिक्षक दोनों के साथ मारपीट की। ऐसे न जाने कितने ही प्रकरण आये दिन अखबारों की सुर्खियाँ बनते हैं, जब शिक्षा का परिशीलन कर रहे छात्र अपने गुरुजनों का अपमान करने से तनिक भी नहीं हिचकिचाते हैं। धन्य हैं महान संत कबीरदास जी, जिन्होंने अनपढ़ होते हुए भी अपने शिष्यों के माध्यम से हर धर्म, हर वर्ग के लिए अनमोल सीख दी है। और इनमें से उनकी सबसे बड़ी सीख थी 'गुरु के लिए सम्मान' की। कबीरदास जी की शिक्षाओं ने कई व्यक्तियों और समूहों को आध्यात्मिक रूप से प्रभावित किया। गुरु नानकजी, दादू पंथ की स्थापना करने वाले अहमदाबाद के दादू, सतनामी संप्रदाय की शुरुआत करने वाले अवध के जीवान दास, उनमें से कुछ हैं जो अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन में कबीर दास को उद्धृत करते हैं। उनके अनुयायियों का सबसे बड़ा समूह कबीर पंथ के लोग हैं, जो उन्हें मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करने वाला गुरु मानते हैं। कबीर पंथ अलग धर्म नहीं बल्कि आध्यात्मिक दर्शन है। प्रस्तुत हैं उनके कुछ दोहे जो नैतिक मूल्यों के उत्थान में महती भूमिका अदा कर सकते हैं, यदि हम उन पर पूरी एकाग्रता के साथ मनन करें।

*पर्यवेक्षक (समन्वय), वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूं पांय।
बलिहारी गुरु अपने गोविन्द दियो बताय।1।

अर्थ– गुरु और गोविन्द (भगवान) एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोबिन्द को? ऐसी स्थिति में गुरु के श्रीचरणों में शीश झुकाना उत्तम है जिनके कृपा रूपी प्रसाद से गोविन्द का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न मोष।
गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटै न दोष।2।

अर्थ– हे सांसरिक प्राणियो। बिना गुरु के ज्ञान का मिलना असम्भव है। तब तक मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ मायारूपी सांसारिक बन्धनों में जकड़ा रहता है जब तक कि गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती। मोक्ष रूपी मार्ग दिखलाने वाले गुरू हैं। बिना गुरू के सत्य एवं असत्य का ज्ञान नहीं होता। उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं होता फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? अतः गुरु की शरण में जाओ। गुरु ही सच्ची राह दिखाएंगे।

गुरु पारस को अन्तरो, जानत हैं सब संत।
वह लोहा कंचन करे, ये करि लेय महंत।3।

अर्थ– गुरु और पारस के अन्तर को सभी ज्ञानी पुरूष जानते हैं। पारस मणि के विषय जग विख्यात हैं कि उसके स्पर्श से लोहा सोने का बन जाता है किन्तु गुरु भी इतने महान हैं कि अपने गुण ज्ञान में ढालकर शिष्य को अपने जैसा ही महान बना लेते हैं।

बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय।
जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोय।4।

अर्थ– जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। पर जब मैंने अपने मन में झाँक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है।

साईं इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाय।
मैं भी भूखा न रहूं, साधु ना भूखा जाय।5।

अर्थ– परमात्मा तुम मुझे केवल इतना दो कि जिसमें मेरे गुजारा चल जाए। मैं भी भूखा न रहूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं।

जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिये ज्ञान।
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान।6।

अर्थ– सज्जन की जाति न पूछ कर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी मयान का, उसे ढकने वाले खोल का।

जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ।
मैं बपुरा बूडन डरा, रहा किनारे बैठ।7।

अर्थ– जो प्रयत्न करते हैं, वे कुछ न कुछ पा ही लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ ले कर आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते।

अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप।
अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप।8।

अर्थ– न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है।

धीरे–धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय।
माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय।9।

अर्थ– धैर्य रखें धीरे–धीरे सब काम पूरे हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई माली किसी पेड़ को सौ घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा।

चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए।
वैद बिचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए।10।

अर्थ– चिंता एक ऐसी डायन है जो व्यक्ति का कलेजा काट कर खा जाती है। इसका इलाज वैद्य नहीं कर सकता। वह कितनी दवा लगाएगा। अर्थात चिंता जैसी खतरनाक बीमारी का कोई इलाज नहीं है।

ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए।
औरन को शीतल करे, आपहुं शीतल होए।11।

अर्थ– व्यक्ति को हमेशा ऐसी बोली बोलनी चाहिए जो सामने वाले को अच्छा लगे और खुद को भी आनंद की अनुभूति हो।

बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर।
पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।12।

अर्थ– जिस प्रकार खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होने के बावजूद आते–जाते राही को छाया नहीं दे सकता है और उसके फल तो इतने ऊपर लगते हैं कि आसानी से तोड़े भी नहीं जा सकते हैं। उसी प्रकार आप कितने भी बड़े आदमी क्यों न बन जाए लेकिन आपके अंदर विनम्रता नहीं है और किसी की मदद नहीं करते हैं तो आपका बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं है।

दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय।
जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय।13।

अर्थ– हर व्यक्ति केवल दुख के समय में या किसी मुसीबत में फसने के बाद ईश्वर को याद करता है, और सुख के समय में उन्हें भूल जाता है। इस पर कबीर दास जी कहते हैं कि जो यदि सुख में भी ईश्वर को याद करेगा तो उसे दुख ही क्यों होगा।

जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही।
सब अँधियारा मिट गया, दीपक देखा माही।14।

अर्थ– जब मैं अपने अहंकार में डूबा था, तब प्रभु को न देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया।

जीवन में मरना भला, जो मरि जानै कोय।
मरना पहिले जो मरै, अजय अमर सो होय।15।

अर्थ– जीते जी ही मरना अच्छा है, यदि कोई मरना जाने तो। मरने के पहले ही जो मर लेता है, वह अजर–अमर हो जाता है। शरीर रहते–रहते जिसके समस्त अहंकार समाप्त हो गए, वे विजयी ही जीवन मुक्त होते हैं।

शब्द विचारी जो चले, गुरुमुख होय निहाल।
काम क्रोध व्यापै नहीं, कबूँ न ग्रासै काल।16।

अर्थ– गुरुमुख शब्दों का विचार कर जो आचरण करता है, वह कृतार्थ हो जाता है। उसको काम क्रोध नहीं सताते। वह कभी मन कल्पनाओं के मुख में नहीं पड़ता।

जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिये ज्ञान।
मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान।17।

अर्थ– सज्जन की जाति न पूछ कर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का।

तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोई।
सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होइ।18।

अर्थ– शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं।

पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय।
ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।19।

अर्थ– बड़ी–बड़ी किताबें पढ़ कर संसार में कितने लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, लेकिन सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले तो वही सच्चा ज्ञानी होगा।

मन के मते न चलिये, मन के मते अनेक।
जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक।20।

अर्थ– मन के मत में न चलो, क्योंकि मन के अनेको मत हैं। जो मन को सदैव अपने अधीन रखता है, वह साधु कोई विरला ही होता है।

मन के मारे बन गये, बन तजि बस्ती माहिं।
कहैं कबीर क्या कीजिये, यह मन ठहरै नाहिं ।21।

अर्थ– मन की चंचलता को रोकने के लिए वन में गये, वहाँ जब मन शांत नहीं हुआ तो फिर से बस्ती में आ गये। कबीर जी कहते हैं कि जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक तुम क्या आत्म–कल्याण करोगे।

मन को मिरतक देखि के, मति माने विश्वास।
साधु तहाँ लौं भय करे, जौ लौं पिंजर साँस।22।

अर्थ– मन को मृतक (शांत) देखकर यह विश्वास न करो कि वह अब धोखा नहीं देगा। असावधान होने पर वह फिर से चंचल हो सकता है इसलिए विवेकी संत मन में तब तक भय रखते हैं, जब तक शरीर में सांस चलती है।

जब लग आश शरीर की, मिरतक हुआ न जाय।
काया माया मन तजै, चौड़े रहा बजाय।23।

अर्थ– जब तक शरीर की आशा और आसक्ति है, तब तक कोई मन को मिटा नहीं सकता। इसलिए शरीर का मोह और मन की वासना को मिटाकर, सत्संग रूपी मैदान में विराजना चाहिए।

कबीर, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान।
सीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान।24।

अर्थ– कबीर कहते हैं कि यह शरीर विष की बेल है और गुरु अमृत की खान है। यदि सिर देकर भी गुरु मिले तो भी सस्ता है।

सत्संगति है सूप ज्यों, त्यागै फटकि असार।
कहैं कबीर गुरु नाम ले, परसै नहीं विकार।25।

अर्थ– सत्संग सूप के ही समान है, वह फटक कर असार का त्याग कर देता है। तुम भी गुरु से ज्ञान लो, जिससे बुराइयां बाहर हो जाएंगी।

कबीरदास जी ने सदैव सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया, और आज के आधुनिक समाज में भी इन मुद्दों का सामना किया जाता है। उनके दोहे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे उनके समय में थे। ये दोहे हमें सच्चाई, सादगी, संयम, धैर्य, गुरु की महिमा और आत्म–चिंतन का मार्ग दिखाते हैं, और लोगों को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। यह आज के सोशल मीडिया युग में और भी अधिक महत्वपूर्ण है।

एक ख्वाहिश

दिनेश बोस*

जैसे ही परीक्षा परिणाम आया,
हजारों घरों में खुशियाँ साथ लाया।
किसी ने ढूँढा नाम अपना तो चेहरा खिला,
तो किसी को हार का चेहरा मिला।

मेहनत करने का क्या यही हाल है?
मन में बस यही सवाल है।

जब पूछा लोगों ने – 'क्या रहा?'
मुस्कुराकर 'ना' में सिर हिला दिया,
लगा जैसे एक बच्चा उस नकली मुस्कुराहट के पीछे धीरे–धीरे ख़त्म सा हो गया।

सिर्फ सपना नहीं टूटा,
उससे जुड़ी हज़ारों उम्मीदें भी टूटीं।

अब खुद को कोस–कोस के थक गया,
तो कह रहा है– 'मेरी तो किस्मत ही फूटी!'

आख़िर क्या कमी रह गयी?
फिर से एक ख्वाहिश अधूरी रह गयी...

पर इस बार हार कर भी टूटा नहीं हूँ,
आँखों में आँसू हैं पर सूखा नहीं हूँ।

अब कोई और वजह नहीं, सिर्फ़ खुद को जीतना है,
हर ठोकर को सीढ़ी बना आगे बढ़ना है।

क्योंकि अब ना सिर्फ़ मंज़िल चाहिए मुझे,
बल्कि सफ़र में खुद को भी पाना है।

अब शिकवे नहीं, बस तैयारी बाकी है,
जो सपना टूटा है, उसकी मरम्मत जारी है।

वक्त लगेगा, पर कहानी पूरी होगी,
हर अधूरी ख्वाहिश, एक दिन ज़रूर पूरी होगी।

* *सहायक ग्रेड–III, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा*

कहानी

इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर

हरिशंकर परसाई*

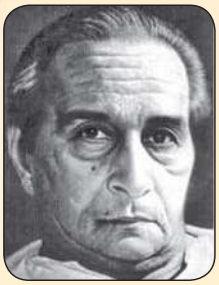

वैज्ञानिक कहते हैं, चाँद पर जीवन नहीं है।

सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन (डिपार्टमेंट में एम. डी. साब) कहते हैं– वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है।

विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। फ़िंगर प्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है – छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की अँगुलियों के नहीं हैं। पर मातादीन उसे सज़ा दिला ही देते हैं।

मातादीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इंवेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चाँद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया, वहाँ जीवन नहीं है। मैं चाँद का अँधेरा हिस्सा देखकर आया हूँ। वहाँ मनुष्य जाति है। यह बात सही है क्योंकि अँधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं।

पूछा जाएगा, इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फ़रार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ़ से सांस्कृतिक आदान–प्रदान के अंतर्गत गए थे। चाँद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था– यों हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है। पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सज़ा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ रामराज है। मेहरबानी करके किसी पुलिस अफ़सर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे।

गृहमंत्री ने सचिव से कहा– किसी आई. जी. को भेज दो।

सचिव ने कहा– नहीं सर, आई. जी. नहीं भेजा जा सकता। प्रोटोकॉल का सवाल है। चाँद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है। आई. जी. के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे। किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ।

तय किया गया कि हज़ारों मामलों के इंवेस्टिगेटिंग ऑफ़िसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेज दिया जाए।

चाँद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वी–यान भेज दीजिए।

पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा– तुम भारतीय पुलिस की उज्ज्वल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पी. एम. (प्रधानमंत्री) को भी सुनाई पड़ जाए।

मातादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ़ बढ़े। वे धीरे–धीरे कहते जा रहे थे, 'प्रविसि नगर कीजै सब काजा, हृदय राखि कौसलपुर राजा।'

यान के पास पहुँचकर मातादीन ने मुंशी अब्दुल गफ़ूर को पुकारा– 'मुंशी!'

गफ़ूर ने एड़ी मिलाकर सेल्यूट फटकारा। बोला– जी, पेक्टसा!

एफ़. आई. आर. रख दी है!
जी, पेक्टसा।
और रोज़नामचे का नमूना?
जी, पेक्टसा!

वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्दर को बुलाकर कहा– हमारे घर में जचकी के बखत अपने खटला (पत्नी) को मदद के लिए भेज देना।

बलभद्दर ने कहा– जी, पेक्टसा।

गफ़ूर ने कहा– आप बेफ़िक्र रहें पेक्टसा! मैं अपने मकान (पत्नी) को भी भेज दूँगा खिदमत के लिए।

मातादीन ने यान के चालक से पूछा– ड्राइविंग लाइसेंस है?

जी, है साहब!

और गाड़ी में बत्ती ठीक है?

जी, ठीक है।

मातादीन ने कहा, सब ठीक–ठाक होना चाहिए, वरना हरामज़ादे का बीच अंतरिक्ष में, चालान कर दूँगा।

चंद्रमा से आए चालक ने कहा– हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते।

मातादीन ने कहा– जानता हूँ बे! तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है। अभी मैं उसे ठीक करता हूँ।

* *प्रसिद्ध लेखक एवं व्यंग्यकार*

मातादीन यान में क़दम रख ही रहे थे कि हवलदार रामसजीवन भागता हुआ आया। बोला– पेक्टसा, एस.पी. साहब के घर में से कहे हैं कि चाँद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना।

मातादीन खुश हुए। बोले– कह देना बाई साहब से, ज़रूर लेता आऊँगा।

वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि मातादीन ने चालक से कहा– अबे, हॉर्न क्यों नहीं बजाता?

चालक ने जवाब दिया– आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है।

मातादीन ने डाँटा– मगर रूल इज़ रूल। हॉर्न बजाता चल।

चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चाँद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी मातादीन के स्वागत के लिए खड़े थे। मातादीन रोब से उतरे और उन अफ़सरों के कंधों पर नज़र डाली। वहाँ किसी के स्टार नहीं थे। फ़ीते भी किसी के नहीं लगे थे। लिहाज़ा मातादीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना ज़रूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ।

मातादीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया।

एक दिन आराम करने के बाद मातादीन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहज़ा किया।

शाम को उन्होंने आई.जी. से कहा– आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमानजी का मंदिर नहीं है। हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमानजी हैं।

आई.जी. ने कहा– हनुमान कौन थे– हम नहीं जानते।

मातादीन ने कहा– हनुमान का दर्शन हर कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए ज़रूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। 'एबडक्शन' का मामला था– दफ़ा 362। हनुमानजी ने रावण को सज़ा वहीं दे दी। उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सज़ा दे दी। अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमानजी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और 'टौन ड्यूटी' में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे अराध्य देव हैं। मैं उनकी फ़ोटो लेता आया हूँ।

उस पर से मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए।

थोड़े ही दिनों में चाँद की हर पुलिस लाइन में हनुमानजी स्थापित हो गए।

मातादीन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे, जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा– ज़रा तनख़ा का रजिस्टर बताओ।

तनख़ा का रजिस्टर देखा, तो सब समझ गए। कारण पकड़ में आ गया।

शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, इसीलिए। सिपाही को पाँच सौ, हवलदार को सात सौ, थानेदार को हज़ार– ये क्या मज़ाक है। आख़िर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को सौ और इंस्पेक्टर को दो सौ देते हैं तो वे चौबीस घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फ़ौरन घटाइए।

पुलिस मंत्री ने कहा– मगर यह तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे?

मातादीन ने कहा– इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख़ा मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा।

पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दीं और 2–3 महीनों में सचमुच बहुत फ़र्क़ आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई। सोते से एकदम जाग गई। चारों तरफ़ नज़र रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबड़ाहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुला कर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने मातादीन से कहा– मैं आपकी सूझ की तारीफ़ करता हूँ। आपने क्रांति कर दी। पर यह हुआ किस तरह?

मातादीन ने समझाया– बात बहुत मामूली है। कम तनख़ा दोगे, तो मुलाज़िम की गुज़र नहीं होगी। सौ रुपयों में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। दो सौ में इंस्पेक्टर ठाठ–बाट नहीं मेनटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी। और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। गरज़ कि वह अपराधों पर नज़र रखेगा। सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है।

चंद्रलोक में इस चमत्कार की ख़बर फैल गई। लोग मातादीन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो

तनख़ा कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते– गुरु, आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख़ा से ही गुज़र करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफ़े का बजट बनने वाला था।

आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जाँच–विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सज़ा दिलाना। मातादीन इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इंवेन्स्टिगेशन कर बताए।

एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। मातादीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले– नमूने के लिए इस केस का 'इंवेस्टिगेशन' मैं करता हूँ। आप लोग सीखिए। यह क़त्ल का केस है। क़त्ल के केस में 'एविडेंस' बहुत पक्का होना चाहिए।

कोतवाल ने कहा– पहले क़ातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकठ्ठा किया जाएगा।

मातादीन ने कहा– नहीं, उलटे मत चलो। पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला? किसी के कपड़ों पर या और कहीं?

एक इंस्पेक्टर ने कहा– हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे। मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहाँ रहता है। उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग़ लग गए हैं।

मातादीन ने कहा– उसे फ़ौरन गिरफ़्तार करो।

कोतवाल ने कहा– मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी।

मातादीन ने कहा– वह सब ठीक है। पर तुम खून के दाग़ ढूँढ़ने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है, उसे तो क़ब्ज़े में करो।

वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा– मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था। मेरा क्या क़सूर है?

चाँद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। मातादीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब मातादीन क्या तर्क निकालते हैं।

मातादीन ने उससे कहा– पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों?

उसने जवाब दिया– मैं झगड़े की जगह नहीं गया। मेरा वहाँ मकान है। झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ।

अब फिर मातादीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था।

मातादीन ने कहा– मकान तो ठीक है। पर मैं पूछता हूँ, झगड़े की जगह जाना ही क्यों?

इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार–बार कहता– मैं झगड़े की जगह नहीं गया। मेरा वहीं मकान है।

मातादीन उसे जवाब देते– सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क–प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए।

अब मातादीनजी ने इंवेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया– देखो, आदमी मारा गया है, तो यह पक्का है किसी ने उसे ज़रूर मारा। कोई क़ातिल है। किसी को सज़ा होनी है। सवाल है– किसको सज़ा होनी है? पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्त्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। क़त्ल हुआ है, तो किसी मनुष्य को सज़ा होगी ही। मारने वाले को होती है, या बेक़सूर को– यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य–मनुष्य सब बराबर हैं। सबमें उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है।

दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा–(1) क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? (2) क्या उसे सज़ा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे?

मातादीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है – वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है।

मातादीन ने टेबिल ठोककर कहा– फ़र्स्ट क्लास केस। पक्का एविडेंस। और ऊपर का सपोट।

एक इंस्पेक्टर ने कहा– पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती है कि एक निरपराध–भले आदमी को सज़ा दिलाई जाए।

मातादीन ने समझाया– देखो, मैं समझा चुका हूँ कि सबमें उसी ईश्वर का अंश है। सज़ा इसे हो या क़ातिल को, फाँसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा न! फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है। इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूँढ़ते फिरोगे? तुम तो भरो एफ. आई. आर.।

मातादीन जी ने एफ.आई.आर. भरवा दी। 'बखत ज़रूरत के लिए' जगह ख़ाली छुड़वा दी।

दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा– गुरुदेव, हमारी तो बड़ी आफ़त है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं, उस बेचारे बेक़सूर को क्यों फँसा रहे हो? ऐसा तो

चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ! बताइए हम क्या जवाब दें? हम तो बहुत शर्मिंदा हैं।

मातादीन ने कोतवाल से कहा– घबड़ाओ मत। शुरू–शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है। आगे तुम्हें बेक़सूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज़ का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें? यह सब ऊपर से हो रहा है।

कोतवाल ने कहा– तब वे एस.पी. के पास जाएँगे।

मातादीन बोले– एस.पी. भी कह दें कि ऊपर से हो रहा है।

तब वे आई.जी. के पास शिकायत करेंगे।
आई.जी. भी कहें कि सब ऊपर से हो रहा है।
तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास पहुँचेंगे।

पुलिस मंत्री भी कहेंगे– भैया, मैं क्या करूँ? यह ऊपर से हो रहा है।

तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएँगे।

प्रधानमंत्री भी कहें कि मैं जानता हूँ, वह निर्दोष है, पर यह ऊपर से हो रहा है।

कोतवाल ने कहा– तब वे!

मातादीन ने कहा– तब क्या? तब वे किसके पास जाएँगे? भगवान के पास न? मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है?

कोतवाल चुप रह गया। वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था।

मातादीन ने कहा– एक मुहावरा 'ऊपर से हो रहा है' हमारे देश में पच्चीस सालों से सरकारों को बचा रहा है। तुम इसे सीख लो।

केस की तैयारी होने लगी। मातादीन ने कहा– अब 4–6 चश्मदीद गवाह लाओ।

कोतवाल– चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे? जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं, तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा?

मातादीन ने सिर ठोक लिया, किन बेवकूफ़ों के बीच फँसा दिया गवर्नमेंट ने। इन्हें तो ए–बी–सी–डी भी नहीं आती।

झल्लाकर कहा– चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं, जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा।

कोतवाल ने कहा– ऐसा कोई क्यों कहेगा?

मातादीन ने कहा– कहेगा। समझ में नहीं आता, कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो! अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है। जहाँ ज़रूरत हुई, उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं, जो साल में 3–4 सौ वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहाँ पहले से पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ। 8–10 उठाईगीरों को बुलाओ, जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हों। जुआ खिलाते हों या शराब उतारते हों।

दूसरे दिन शहर के 8–10 नवरत्न कोतवाली में हाज़िर थे। उन्हें देखकर मातादीन गद्‌गद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे। बड़ा सूना–सूना लग रहा था।

मातादीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा– तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था न?

वे बोले– नहीं देखा साब! हम वहाँ थे ही नहीं।

मातादीन जानते थे, यह पहला मौक़ा है। फिर उन्होंने कहा– वहाँ नहीं थे, यह मैंने माना। पर लाठी मारते देखा तो था?

उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है। तभी ऐसी ऊटपटाँग बात कहता है। वे हँसने लगे।

मातादीन ने कहा– हँसो मत, जवाब दो।
वे बोले– जब थे ही नहीं, तो कैसे देखा?

मातादीन ने गुर्राकर देखा। कहा– कैसे देखा, सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो– सब इधर दर्ज़ है। हर एक को कम से कम दस साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो?

वे घबड़ाकर बोले– साब, हम जेल नहीं जाना चाहते।

मातादीन ने कहा– ठीक। तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा। देखा न?

वे बोले– देखा साब। वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया, तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा।

मातादीन ने कहा– ठीक है। आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे?

वे बोले– साब, जो आप कहेंगे, सो देखेंगे।

कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश आया तो मातादीन के चरणों पर गिर पड़ा।

मातादीन ने कहा– हटो। काम करने दो।

कोतवाल पाँवों से लिपट गया। कहने लगा– मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ।

मातादीन ने आगे की सारी कार्यप्रणाली तय कर दी। एफ.आई.आर. बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज़नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना– सब सिखा दिया।

उस आदमी को बीस साल की सज़ा हो गई।

चाँद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सज़ा होने लगी। चाँद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चाँद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया।

एक दिन मातादीनजी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय–जयकार करते हज़ारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृहमंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे।

ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। छब्बीस साल पहले पुलिस में भरती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए– अच्छा होता कि इस मौक़े के लिए कुरता, टोपी और धोती ले आते।

भारत के पुलिस मंत्री टेलीविज़न पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया।

कुछ महीने निकल गए।

एक दिन चाँद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफ़ान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए।

सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे–

कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता।
डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता।
जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता।

आदमी जानवर से बदतर हो गया। सरकार फ़ौरन इस्तीफ़ा दे।

दूसरे दिन चाँद के प्रधानमंत्री ने मातादीन को बुलाया। मातादीन ने देखा– वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा, ये कई रात सोए नहीं हैं।

रुँआसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा– मातादीन, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए।

मातादीन ने कहा– मैं तो 'टर्म' ख़त्म करके ही जाऊँगा।

प्रधानमंत्री ने कहा– आप बाक़ी 'टर्म' का वेतन ले जाइए– डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए।

मातादीन ने कहा– हमारा सिद्धांत है: हमें पैसा नहीं काम प्यारा है।

आखिर चाँद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा।

चौथे दिन मातादीन को वापस लौटने के लिए अपने आई. जी. का आर्डर मिल गया।

उन्होंने एस.पी. साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चाँद से विदा हो गए।

उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े।

बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चाँद में ऐसा क्या हो गया कि मातादीन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा! चाँद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था?

एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था– इंस्पेक्टर मातादीन की सेवाएँ हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद। पर अब आप उन्हें फ़ौरन बुला लें। हम भारत को मित्रदेश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है।

आपके मातादीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हुए हैं: कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह क़त्ल के मामले में फँसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता। वह डरता है, बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता– डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। मातादीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फ़ौरन रामराज में बुला लिया जाए।

स्वदेशी एवं आत्मनिर्भरता का उद्घोष

राजेश कुमार कर्ण*

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत की बात की। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर उन्होंने कहा, 'एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है, तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए, बनाए और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। आत्मनिर्भरता भारत की संकल्पना ही नहीं, अपितु वह सत्य है, जो आत्मबल की कथा लिखती है।

भारत घरेलू और बाहरी मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना करने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बढ़ाए गए अनुचित टैरिफ का भी सामना कर रहा है। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में इन चुनौतियों से पार पाने का संकल्प व्यक्त कर उनसे निपटने के उपाय भी बताए और इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। इन घोषणाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत संकटकाल में अपनी शक्ति को पहचान रहा है और हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। इसका संकेत आतंक के आका और भारत के शत्रु पाकिस्तान से स्थगित सिंधु जल समझौते के संदर्भ में खून और पानी साथ नहीं बहते, दिवाली पर जीएसटी का नया स्वरूप लाने, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने, अपना फाइटर जेट बनाने, सेमीकंडक्टर निर्माण में अग्रणी बनने समेत अन्य अनेक घोषणाओं से मिलता है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो कुछ कहा और जो योजनाएं शुरू करने की घोषणा की, यदि उन पर 60–70 प्रतिशत भी क्रियान्वयन हो सके तो देश के आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनने का रास्ता आसान हो जाएगा और ट्रंप सरीखे मतलबी नेताओं को सही तरह जवाब भी दिया जा सकेगा। ट्रंप भारत को अपना मित्र देश बताते हैं, लेकिन वे उसे धमकाने में भी लगे हैं। चूंकि वे अपनी हद पार कर गए हैं, इसलिए उनकी धमकियों के आगे झुकने का प्रश्न ही नहीं।

50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ ने भारत के समक्ष जो कठिन चुनौती खड़ी कर दी है, उसका प्रभावी ढंग से सामना स्वदेशी और स्वावलंबन की राह पर चलकर ही किया जा सकता है। यह समय की मांग है कि स्वदेशी और स्वावलंबन पर तब तक बल दिया जाए, जब तक वांछित सफलता न मिल जाए। जहां सरकार को स्वदेशी की राह को आसान करना होगा, वहीं समाज को सहयोग देने के लिए तत्पर रहना होगा। व्यापारिक साझेदारों पर निर्भरता लाचारी में नहीं बदलनी चाहिए। वास्तव में इस स्थिति से बचने का ही उपाय है स्वदेशी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना। यह ठीक है कि आज के युग में कोई देश अलग–थलग नहीं रह सकता, लेकिन वह किसी पर निर्भर रहने का भी जोखिम नहीं उठा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि न तो अमेरिका भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है और न ही चीन। आज परस्पर मित्रता का आधार अपने–अपने आर्थिक–कूटनीतिक हित हैं। इन स्थितियों में सर्वोत्तम उपाय स्वदेशी को बल देते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक ही कहा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता है। इस निर्भरता को सामूहिक रूप से पराजित करना चाहिए। उन्होंने आत्मनिर्भरता का नारा दिया और सेमीकंडक्टर चिप से लेकर जहाजों तक हर चीज के स्वदेशी उत्पादन करने का आह्वान किया। अन्य देशों पर निर्भरता बढ़ने से राष्ट्रीय विफलता बढ़ती है। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना होगा। 140 करोड़ भारतीयों का भविष्य बाहरी ताकतों पर नहीं छोड़ा जा सकता, न ही राष्ट्रीय विकास का संकल्प विदेशी निर्भरता पर आधारित हो सकता है। जिस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन को स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से शक्ति मिलेगी। हमें वो सामान खरीदने चाहिए जो अपने देश में बने हों, जिसमें देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो। इतिहास से पता चलता है कि जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस काल की समृद्धि में स्वदेशी का बड़ा योगदान था।

महात्मा गांधी का स्वदेशी केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह अपने देश, अपनी भाषा, संस्कृति और अपनी जीवनशैली के प्रति आत्मीयता की भावना से भी जुड़ा हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा के जरिये मैकाले ने भारत में गुलामी के बीज बोए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी हम अंग्रेजों द्वारा स्थापित भाषा, जीवन मूल्यों और पाश्चात्य रीति–रिवाजों को श्रेष्ठ मानने की भूल कर रहे हैं। शिक्षाविद प्रणय कुमार ने ठीक ही लिखा है कि

मूल से जुड़े बिना न तो प्रगति संभव है, न मौलिक पहचान ही। आशा थी कि लंबे संघर्ष से प्राप्त हुई स्वतंत्रता के पश्चात भारत शासन–प्रशासन से लेकर जीवन के बहुविध क्षेत्रों में अपनी संस्कृति, विरासत, परंपरा के अनुकूल अपना पथ प्रशस्त करेगा। अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहकर शिक्षा, चिकित्सा, शोध, विज्ञान, अनुसंधान तथा सुशासन एवं विकास के आदर्श प्रतिमान गढ़ेगा, परंतु दुर्भाग्य से सत्ता का हस्तांतरण तो हुआ, पर सत्ता–व्यवस्था का चरित्र एवं स्वरूप नहीं बदला। भारत 1947 में स्वाधीन अवश्य हुआ, पर स्व पर आधारित तंत्र, मंत्र एवं मानस आज तक निर्मित तथा विकसित नहीं कर सका। फलस्वरूप शिक्षा से लेकर कला, साहित्य और सिनेमा तक, शासन–व्यवस्था से लेकर न्याय और दंड विधान तक तथा वास्तु, विज्ञान और चिकित्सा से लेकर पर्यटन तक परकीय तंत्र, सोच तथा दृष्टि की प्रभावी स्थिति एवं भूमिका यथावत बनी रही। शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा, जिसे अपनी भाषा, अपनी वेश भूषा, अपने सांस्कृतिक प्रतीक–पहचान के प्रति गौरवबोध रखने के कारण अपनी ही संस्थाओं–व्यवस्थाओं द्वारा कभी–न–कभी असमान व्यवहार, उपेक्षा या अपमान का दंश न झेलना पड़ा हो। न केवल कारपोरेट एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, बल्कि सरकारी संस्थाओं में भी ज्ञान तथा योग्यता का पैमाना कार्यकुशलता नहीं, अपितु आंग्ल भाषा की दक्षता को मान लिया गया है। मौलिकता एवं सहजता के अभ्यासी भारतीयों को तरह तरह के कथित शिष्टाचार के नाम पर नितांत असहज, अमौलिक एवं अभारतीय बनाने का अभियान–आज महानगरों से लेकर छोटे–छोटे शहरों तक चलाया जा रहा है। मैकाले प्रणीत शिक्षण–तंत्र ने श्रम, कौशल तथा प्रतिभा तीनों का अवमूल्यन कर 'सूट–बूट वाली कुलीन संस्कृति एवं अभिजात्यवादी मानसिकता' को बढ़ावा दिया है, पश्चिमीकरण को ही विकास एवं आधुनिकता का पर्याय मान लिया है।

गांधी जी ने स्वदेशी के माध्यम से हमें आत्मनिर्भरता, सादगी और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा दी थी। उसी प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद के दर्शन से भारतीय जीवन–मूल्यों को आत्मसात करने की दिशा दिखाई। यदि हमने समय रहते इन विचारों को अपने जीवन में नहीं उतारा, तो हमारी भावी पीढ़ियां अपनी पहचान और संस्कृति से दूर हो जाएंगी। आज आवश्यकता है कि हम स्वदेशी की भावना को केवल वस्त्रों या वस्तुओं तक न सीमित रखकर जीवन के हर क्षेत्र में आत्मसात करें। तभी हम सच में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर कहलाने योग्य बन पाएंगे। 2035 तक मैकाले की शिक्षा–व्यवस्था से उपजी गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान सर्वथा उपयुक्त एवं गहन राष्ट्रीय आवश्यकता है।

'स्वदेशी' का मूल मंत्र हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की विचारधारा को समर्पित है। उन्होंने ही हमें स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के महत्व के बारे में समझाया था कि स्वदेशी को अपनाना देश की उन्नति और भारत के नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। उनका यह मानना था कि भारत की आत्मा मूलतः गाँवों में निवास करती है और गाँवों में रहने वाली भारत की अधिकांश आबादी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगर अत्यधिक प्रतिभावान और कौशलयुक्त हैं और वे स्थानीय संसाधनों से परिचित भी हैं। यदि हम सभी मिलकर उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को खरीदेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के कारीगर आत्मनिर्भर होंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे जो उनको विकास और उन्नति के रास्तेपर ले जाएँगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें विदेशी वस्तुओं का पूरी तरह से बहिष्कार कर देना चाहिए। हम भारत के लोग 'वसुधैव कुटुंबकम' में विश्वास रखते हैं जिसका मतलब है कि 'संपूर्ण विश्व ही एक परिवार है' और इसलिए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' को आधार मानते हए इस संपूर्ण विश्व को रहने के लिए एक ऐसी बेहतर जगह बनाएं जहां समृद्धि हो, खुशहाली हो, शांति और एकजटुता हो।

बेशक आजादी के बाद करीब सात दशकों में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज गौर से सुनी जाती है। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं लेकिन इन उपलब्धियों के बीच यह बात अखरती है कि जीई से जेट इंजन मिलने में देरी की वजह से स्वदेशी तेजस विमान वायुसेना को नहीं मिल पा रहे हैं। यही नहीं, हाल में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में स्वदेशी हथियारों के शानदार प्रदर्शन और संघर्ष की तीव्रता ने आत्मनिर्भरता की अनिवार्यता को नए सिरे से रेखांकित किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लंबे समय से आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहे हैं। हाल ही में कहा कि भारत किसी भी चीज के लिए दूसरे देश पर निर्भर नहीं रह सकता है। चिप से लेकर शिप तक भारत में बनेगा। मेक इन इंडिया से लेकर केंद्र सरकार की कई योजनाएं उनके इस संकल्प को मूर्त रूप देने की दिशा में काम कर रहीं हैं। हालांकि, इस राह में सबसे बड़ी चुनौती कम लागत में वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम उत्पाद तैयार करने वाला इकोसिस्टम तैयार करना है। चूंकि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की बातें पहले भी की जा चुकी हैं और सब जानते हैं कि उनके वांछित परिणाम हासिल नहीं हुए, इसलिए इस बार देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्रभावी रूपरेखा बननी चाहिए। यह शुभ संकेत है कि हाल में इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना शेष है। स्वदेशी के सहारे देश को आत्मनिर्भर बनाना एक सतत एवं लंबी प्रक्रिया है।

प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने ठीक ही लिखा है कि आसियान शिखर सम्मेलन में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर द्वारा भारत की खुलकर प्रशंसा करना, तेजस एमके 1ए की पहली सफल उड़ान और 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद कई देशों का रक्षा सहयोग में रुचि दिखाना इस बात प्रमाण है कि भारत अब वैश्विक रक्षा परिदृश्य में निर्णायक शक्ति के रूप में उभर चुका है। यह परिवर्तन किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि मोदी सरकार के उन प्रयासों का प्रतिफल है, जिसने भारत को 'रक्षा आयातक' से 'रक्षा निर्यातक' बना दिया है।

बीते एक दशक में भारत ने जिस आत्मविश्वास के साथ नीति–निर्माण और नवाचार को जोड़ा है, उसने देश की रणनीतिक दिशा ही बदल दी है। 2014 में जहां हमारा रक्षा उत्पादन 46429 करोड़ रुपये था, वहीं 2023–24 में यह बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपये हो गया। सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि रक्षा निर्यात में रही है, जो इसी अवधि में 1941 करोड़ रुपये से बढ़कर 21083 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह छलांग भारत के तकनीकी आत्मविश्वास और नीति–स्थिरता की कहानी कहती है। आज करीब 65 प्रतिशत रक्षा उपकरण देश में ही बनते को है। हैं। रक्षा बजट में आत्मनिर्भरता प्राथमिकता देने हेतु 75 प्रतिशत राशि घरेलू खरीद के लिए आरक्षित की गई। इससे न केवल देशी उद्योग को बल मिला है, बल्कि स्टार्टअप और एमएसएमई को भी रक्षा उत्पादन से सीधे जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा था कि आत्मनिर्भरता केवल उत्पादन में ही नहीं, बल्कि नवाचार में भी होनी चाहिए। इसी नजरिये से रक्षा अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) पर विशेष ध्यान दिया गया है। आने वाले पांच वर्षों में रक्षा बजट के 10 प्रतिशत हिस्से को आरएंडडी के लिए समर्पित करने की योजना इसी सोच का प्रमाण है। आज 'इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस' भारत के रक्षा क्षेत्र में परिवर्तन की धुरी बन चुका है। इस पहल के अंतर्गत अब तक 600 से अधिक डिफेंस–टेक स्टार्टअप उभरे हैं, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा और संचार प्रणालियों के लिए अत्याधुनिक समाधान विकसित कर रहे हैं। ये स्टार्टअप न केवल रक्षा कंपनियों के साथ सहयोग कर रहे हैं, बल्कि भारत को वैश्विक स्तर एडिफेंस इनोवेशन हब के रूप में स्थापित भी कर रहे हैं।

भारत की आत्मनिर्भरता केवल घर में सीमित नहीं है। विदेश नीति में भी यह आत्मविश्वास झलकता है। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और स्लोवाकिया जैसे देशों के साथ तकनीकी साझेदारियां भारत के रक्षा उद्योग को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा बना रही हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति का यह कहना कि 'मनीला अब अपनी कई रक्षा चुनौतियों के समाधान के लिए भारत की ओर रुख करेगा' न केवल भारत की रक्षा तकनीक पर वैश्विक भरोसे को दर्शाता है, बल्कि हिंद–प्रशांत क्षेत्र में भारत की उभरती भूमिका को भी मजबूत करता है। ब्रह्मोस मिसाइल सौदे के बाद यह दूसरा बड़ा बड़ा संकेत है कि दक्षिण–पूर्व एशिया के देश चीन पर निर्भर रहने के बजाय भारत को एक भरोसेमंद सुरक्षा भागीदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि भारत का रक्षा निर्यात अब 100 से अधिक देशों तक पहुंच चुका है। सरकार ने 2030 तक 50100 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है, जो उसकी मौजूदा प्रगति को देखकर दूर नहीं लगता। 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' और 'डीप टेक फंड ऑफ फंड्स' जैसी पहलों ने एआई, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत को मजबूती दी है।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ने केवल सैन्य शक्ति नहीं बढ़ाई, बल्कि रोजगार व औद्योगिक विकास को भी गति दी है। रक्षा औद्योगिक गलियारे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में हजारों एमएसएमई को रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में जोड़ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में अब तक 500 से अधिक रक्षा और एयरोस्पेस कंपनियां प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रक्षा विनिर्माण में जुड़ी हैं। सरकार ने 2030 तक तीन लाख करोड़ रुपये का रक्षा उत्पादन और 50 हजार करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है जो मौजूदा प्रगति को देखकर दूर नहीं लगता।

प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वदेशी की जो पक्षधरता की, वह सही तो है, लेकिन यह ध्यान रहे कि वे स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील पहले भी कर चुके हैं और किन्हीं कारणों से स्वदेशी का मंत्र उतना अधिक प्रभावी नहीं दिखा, जितना अपेक्षित था। यदि लोग स्वदेशी की भावना से प्रेरित होकर देश में बने उत्पाद खरीदना भी चाहें तो अनेक ऐसे उत्पाद पर्याप्त मात्रा में बनते ही नहीं, जिनकी मांग बढ़ती चली जा रही है। इसका परिणाम यह है कि भारतीय बाजारों में चीनी वस्तुएं बढ़ती चली जा रही हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी चीनी वस्तुओं का आयात

करना अधिक पसंद करते हैं। चीन अभी भी दुनिया का कारखाना बना हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दशक पहले 25 सितंबर 2014 को 'मेक इन इंडिया' को लॉन्च किया था। इस पहल का उद्देश्य था भारत को ग्लोबल डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना। इसके लिए सरकार ने कई सुधार किए, कई नीतियां और योजनाएं लागू कीं। मार्च 2024 तक सीमित समय के लिए कॉरपोरेट टैक्स रेट को घटाकर 15 प्रतिशत (सरचार्ज और सेस छोड़कर) कर दिया गया था। ऐसा कुछ नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए किया गया था। भारत की निर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए साल 2020 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की शुरुआत हुई। 2014 के बाद जो मुक्त व्यापार समझौते हुए, उनका एक प्रमुख उद्देश्य मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। 'मेक इन इंडिया' एक क्रांतिकारी विचार है जो निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देने और देश में विश्वस्तरीय विनिर्माण, बनियादी ढाँचे का निर्माण करने के लिए नई पहलों की शुरुआत को प्रोत्साहन देता है। प्रधानमत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने देश में वस्तुओं के निर्माण एवं उत्पादन हेतु 'मेक इन इडिया' योजना की शुरूआत की गई है जिसके तहत हम अपने देश में अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का व्यापार कर सकेंगे। हमारे दूरदर्शी और मजबूत राजनैतिक नेतृत्व के साथ हमारा देश भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार आगे बढ़ रहा है। आज हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और जल्द ही वह दिन आएगा जब भारत जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर होने का गौरव प्राप्त करेगा।

श्री संदीप वेम्पति, अर्थशास्त्री ने ठीक ही लिखा है कि मेक इन इंडिया पर फोकस से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से आगे बढ़ा है। साल 2013–14 में जो ग्रोस वैल्यू एडेड 17.13 लाख करोड़ रुपये था, वह 2023–24 में 38.19 लाख करोड़ रुपये हो गया। 2013–14 में रोजगार का डेटा 5.49 करोड़ था, जो 2022–23 में 6.31 करोड़ हो गया। एफडीआई और माल निर्यात में भी खूब बढ़ोत्तरी हुई है। 2004 से 2014 के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 97.7 बिलियन डॉलर था और 2014 से 2024 के बीच यह 165.1 बिलियन डॉलर पहुंच गया।

पीएलआई से 1.28 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ। इससे 8.5 लाख लोगों को रोजगार मिला और 10.8 लाख करोड़ का उत्पादन हुआ। देश का निर्यात चार लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बढ़ा। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वित्तीय वर्ष 2017 में 48 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में 101 बिलियन डॉलर हो गई।

इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2018 में 6.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 29.1 बिलियन डॉलर हो गया। कुल निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की हिस्सेदारी 2.13 प्रतिशत से बढ़कर 6.72 प्रतिशत हो गई। खिलौनों, वैक्सीन और रेल कोच का निर्यात भी बढ़ा है। भारत के रक्षा उत्पादन में 217 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। वित्तीय वर्ष 2014 में 0.4 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में यह 1.27 लाख करोड़ हो गया। रक्षा क्षेत्र में भारत अब आयातक से निर्यातक बन गया है।

आगे अब देश का सेमीकंडक्टर मिशन भारत में बनी चिप के निर्यात का रास्ता खोलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह ग्रोथ इसलिए खास है, क्योंकि दुनिया कम आर्थिक विकास और युद्ध जैसे मसलों से जूझ रही। यह कहना सही होगा कि मेक इन इंडिया के तहत जो उपलब्धियां हासिल हुईं उनके बारे में एक दशक पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने इस पर और ध्यान दिया है। 2024 के बजट में एफडीआई को आसान बनाने और विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स रेट को कम करने की घोषणा हुई है। नैशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिवेलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। बजट में महत्वपूर्ण खनिज मिशन और समुद्र से खनिज निकालने की योजनाओं की घोषणा भी की गई। मेक इन इंडिया के अंतर्गत मोदी सरकार चिप निर्माण, बायो–मैन्युफैक्चरिंग, शिप निर्माण और स्पेस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं और मेक इन इंडिया के तहत उठाए गए कदमों की वजह से भारत दुनियाभर की कंपनियों का पसंदीदा ठिकाना बन गया है। इससे देश एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में उभरेगा और इससे 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी।

हाल ही में मोदी जी ने ठीक ही कहा कि जीएसटी और इनकम टैक्स में नए साहसिक सुधारों से न केवल आम आदमी की जिंदगी आसान होगी, बल्कि देश विकसित भारत की राह पर भी तेजी से आगे बढ़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि नए कर सुधारों से इसी वित्त वर्ष 2025–26 के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसी तरह दुनिया के विभिन्न आर्थिक और वित्तीय संगठनों की रिपोर्ट में भी जीएसटी और इनकम टैक्स में किए गए सुधारों से भारत के तेज गति से विकास की संभावनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। गौरतलब है कि जीएसटी परिषद ने चार टैक्स स्लैब 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत में बदलाव करते

हुए 5 और 18 प्रतिशत प्रतिशत स्लैब वाले दो–स्तरीय जीएसटी को मंजूरी दी है। हालांकि अहितकर वस्तुओं की श्रेणी में आने वाली कुछ वस्तुओं पर 40 प्रतिशत कर लागू होगा। जीएसटी में हुए सुधारों के तीन बड़े आधार हैं। पहला, संरचनात्मक सुधार। इसमें टैक्स ढांचे को और बेहतर किया गया है। दूसरा, टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाया गया है, ताकि जरूरी वस्तुएं सस्ती हों। तीसरा, नए रजिस्ट्रेशन और रिफंड को आसान बनाया गया है। इससे इनपुट और आउटपुट टैक्स रेट में संतुलन आएगा।

वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉ. जयंतीलाल भंडारी के अनुसार जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से लेकर पालन प्रतिवेदन की प्रक्रिया भी आसान की गई है। कारोबारी अब सिर्फ तीन दिन में जीएसटी पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकेंगे। उन्हें सात दिनों में रिफंड देने की व्यवस्था होगी। कच्चे माल और तैयार माल की दरों में भिन्नता होने के कारण इनपुट टैक्स रिटर्न में होने वाली दिक्कतों को भी समाप्त कर दिया गया है। जीएसटी दरों में नए बदलाव से वर्तमान में 12 प्रतिशत जीएसटी वाली लगभग 99 प्रतिशत वस्तुएं अब पांच प्रतिशत के स्लैब में आ जाएंगी। जबकि 28 प्रतिशत टैक्स वाली लगभग 90 प्रतिशत वस्तुएं 18 प्रतिशत के स्लैब में आ जाएंगी। नए बदलाव से आम आदमी से लेकर किसान और छोटे उद्योगों के इस्तेमाल में आने वाली सैकड़ों वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। इससे घरेलू खपत में जोरदार तेजी आएगी। मध्य वर्ग उत्पादों की खरीद पर पैसा खर्च करेगा और मांग बढ़ने से निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार को भी उम्मीद है कि 47,000 करोड़ रुपये के सालाना राजस्व नुकसान के बावजूद इससे बाजार की गतिविधियों में तेजी आएगी और अर्थव्यवस्था को जिस तरह रफ्तार मिलेगी, उससे तात्कालिक नुकसान की सरलता से भरपाई हो जाएगी। आम आदमी एवं मध्यवर्गीय लोगों को कीमतों में राहत मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। बाजार में नकदी प्रवाह भी बढ़ेगा। जो छोटे उद्योग ट्रंप टैरिफ के कारण निर्यात घटने को लेकर चिंतित हैं, उन्हें घरेलू उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग से बड़ा सहारा मिलेगा।

जीएसटी घटने से औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा और मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर सर्विस सेक्टर तक में मांग बढ़ती हुई दिखाई देगी। अनुमान है कि देश में जीएसटी घटने से करीब दो लाख करोड़ रुपये की खपत बढ़ेगी और निर्यात को भी नई गति मिलेगी। मांग एवं उत्पादन बढ़ने से जीडीपी में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। वैश्विक स्तर पर भारत की ईज आफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भी सुधरेगी। जीएसटी के दो स्लैब बनने से इसके कार्यान्वयन और लेखांकन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

केंद्र सरकार जीएसटी में बदलाव से साथ–साथ इनकम टैक्स को भी आसान और राहतकारी बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ी है। इनकम टैक्स बिल, 2025 राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब कानून बन गया है। यह कानून मौजूदा इनकम टैक्स कानून, 1961 की जगह एक अप्रैल, 2026 से लागू किया जाएगा। वस्तुतः नया इनकम टैक्स कानून महज कुछ धाराओं का बदलाव नहीं, बल्कि पूरी टैक्स व्यवस्था का कायापलट करने वाला है। इससे देश में टैक्स सिस्टम के डिजिटल और सरल युग का नया दौर शुरू होगा। इस नए कानून के तहत टैक्स कानूनों के मकड़जाल को खत्म कर एक ऐसी प्रणाली निर्मित होगी, जो सहज और आम करदाताओं के लिए लाभकारी होगी। इससे नए करदाता अपनी आमदनी के मुताबिक इनकम टैक्स देने के लिए तत्पर होंगे। नया इनकम टैक्स कानून पुराने कानून को लगभग 50 प्रतिशत तक सरल बनाता है। नया कानून गृह संपत्ति से होने वाली आय से जुड़ी अस्पष्टताओं को दूर करता है। नए कानून के माध्यम से टैक्स कानून में अप्रासंगिक हो चुके प्रावधानों को हटा दिया गया है।

नई जीएसटी व्यवस्था के साथ–साथ नए इनकम टैक्स कानून के तहत नए बदलावों के कार्यान्वयन से देश के करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे और भ्रष्टाचार भी नियंत्रित होगा। जीएसटी और इनकम टैक्स के तहत नए अहम कर सुधारों से करदाताओं की संख्या बढ़ाने, टैक्स जटिलता और मुकदमों में कमी लाने और टैक्स संग्रहण बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश के उद्योग–कारोबार ट्रंप की टैरिफ चुनौतियों का मुकाबला करते हुए देश को आर्थिक रफ्तार देंगे। इससे तेजी से बढ़ने वाला कर संग्रहण देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देगा।

आज भारतीय अर्थव्यवस्था को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में घरेलू खपत को बढ़ावा देना जरूरी है। तभी आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी ग्रोथ को तेज बनाए रख पाना मुमकिन होगा। अब कंपनियां प्रॉडक्शन बढ़ाएंगी और उनके ऐसा करने से रोजगार के अवसर भी अधिक बनेंगे। रोजगार बढ़ने से लोगों के हाथ में अधिक पैसा आएगा, जिससे उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। जीएसटी की दरों में इन बदलावों से वित्त वर्ष 2025–26 में देश की जीडीपी में 0.2–0.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का कहना है कि चालू वित्त वर्ष 2025–26 के अंत तक ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। पहले इनकम टैक्स में कटौती और फिर 400 से अधिक वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव से आर्थिकी को महत्वपूर्ण बूस्ट मिलेगा। वर्तमान में भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में चौथे स्थान पर है। जीएसटी की दरों में बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। खाने–पीने की वस्तुओं से लेकर इलेक्ट्रानिक्स, कपड़े व जूते यानी सभी प्रकार के आइटम की जीएसटी दरों में कटौती की गई है। इससे अर्थव्यवस्था की मांग व खपत में वृद्धि होगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव उत्पादन और रोजगार पर पड़ेगा। इससे पूरे आर्थिक चक्र को गति मिलेगी।

विकसित देशों की तरह भारत में भी जीएसटी की एक दर लाने के पक्ष में सरकार अभी नहीं है। इसके लिए देश में प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना जरूरी है।

कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप 'विक्रम–32' सौंपी गई। यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत की तकनीकी आकांक्षाओं का ऐतिहासिक मोड़ भी है। भारत अब डिजाइन और सॉफ्टवेयर में ही नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर निर्माण की वैश्विक दौड़ में भी नेतृत्व करने को तैयार है।

तकनीक और सामाजिक उद्यमी श्री प्रवीण कौशल ने ठीक ही लिखा है कि भारत ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में दशकों से बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन मुख्य रूप से उसकी यह भूमिका डिजाइन और सॉफ्टवेयर तैयार करने तक सीमित रही। दुनिया की हर बड़ी चिप कंपनी, इंटेल से लेकर क्वालकॉम तक के डिजाइन केंद्र बेंगलुरु, हैदराबाद और नोएडा में मौजूद हैं। आईआईटी और अन्य शीर्ष संस्थानों से निकले हजारों भारतीय इंजीनियर इनमें अगली पीढ़ी की चिप डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन अब तक इनका निर्माण ताइवान, दक्षिण कोरिया या अमेरिका में होता था। विक्रम–32 के निर्माण ने इस कहानी को अब बदल दिया है। भारत अब चिप उत्पादन की पूरी श्रृंखला में आत्मनिर्भर बनेगा। सेमीकंडक्टर डिजिटल युग की रीढ़ हैं। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा प्रणाली, सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सब इन्हीं चिप पर आधारित हैं। जिन देशों का चिपों पर नियंत्रण है, उनकी आर्थिक प्रतिस्पर्धा व राष्ट्रीय सुरक्षा में बढ़त है। कोविड काल में चिप की कमी ने यह साफ कर दिया था कि इसके आयात पर निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है।

हमारी बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए सेमीकंडक्टर–निर्माण में आत्मनिर्भरता विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है। भारत के पास तीन बड़ी ताकत हमेशा से रही हैं। पहली ताकत है प्रतिभा। दुनिया के सबसे बड़े 'स्टेम स्नातक' भारत से निकलते हैं। आईआईटी, आईआईएससी और एनआईटी जैसे संस्थान इस क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट मानव संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरी ताकत है बाजार। स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग लगातार बढ़ रही है। और तीसरी ताकत है नीतिगत समर्थन। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत केंद्र और राज्य सरकारें चिप निर्माण, पैकेजिंग और शोध एवं विकास में हजारों करोड़ रुपये का निवेश कर रही हैं।

इस सफलता ने साफ कर दिया है कि भारत अब वैश्विक प्रौद्योगिकी श्रृंखला में केवल उपभोक्ता नहीं रहेगा, वह निर्माता और नेता भी बनेगा। हमारे पास दृष्टि है, अपार प्रतिभाएं हैं और अब अवसर भी हैं। जरूरत है, तो केवल ठोस क्रियान्वयन की। यह तो निर्विवाद है कि भविष्य की दुनिया, यानी डिजिटल दुनिया सिलिकॉन पर खड़ी होगी और विक्रम–32 के साथ भारत ने पहली पंक्ति में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है।

2017 में शुरुआत के साथ जीएसटी ने जहां देश के बाजार को एकीकृत कियां, वहीं 2025 के सुधार से यह विकास को गति देने वाली परिपक्व प्रणाली बनेगी। हाल ही में 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी में प्रस्तावित सुधार के जरिये कर संरचना को सरल बनाकर, लोगों पर बोझ घटाकर, उत्पादकों के लिए विसंगतियों को दुरुस्त कर और विवाद समाधान प्रणाली को मजबूत कर परिषद ने जीएसटी को भ्रम और अनुपालन की जटिलता के जाले से बाहर निकालकर विकासोन्मुख ढांचे की ओर नए सिरे से उन्मुख किया है। इन सुधारों का सशक्त पहलू यह है कि इसमें उपभोक्ता विजेता के रूप में उभरता दिखता है।

पहली बार जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को कर मुक्त कर दिया गया है। कई जीवनरक्षक दवाएं भी कर मुक्त हो गई हैं, जबकि स्वास्थ्य परीक्षण से जुड़े उपकरणों पर भी टैक्स घटा दिया गया है। यहां मुद्दा केवल कल्याण का ही नहीं, बल्कि विकास का भी है। किफायती स्वास्थ्य देखभाल और व्यापक बीमा कवरेज लोगों को चिकित्सा खर्च के झटकों से बचाने का काम करते हैं इससे अन्य खर्चों के लिए संसाधन बचेंगे। साथ ही, स्वस्थ और अधिक सुरक्षित कार्यबल बनाकर उत्पादकता में सुधार की संभावनाएं भी बढ़ती हैं।

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अपेक्षित ही नहीं, अपरिहार्य भी है। प्रो. ऋतु सारस्वत के अनुसार नारी शक्ति अब केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय अभियान बनना चाहिए। विगत एक दशक में महिलाएं केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की सक्रिय भागीदार भी बन चुकी हैं। देश की आधी आबादी का सशक्तिकरण अब सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि विकास की रणनीति बनने को है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 ने भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर में उल्लेखनीय वृद्धि को उजागर किया, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि के कारण हुआ। मुद्रा योजना के कुल लाभार्थियों में 68 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो देश भर में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को आगे बढ़ाने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2025 के बीच प्रति महिला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वितरण राशि 13 प्रतिशत बढ़कर 62,679 रुपये तक पहुंच गई, जबकि प्रति महिला वृद्धिशील जमा राशि वर्ष दर वर्ष 14 प्रतिशत बढ़कर 95,269 रुपये हो गई। ऋण वितरण में महिलाओं की अत्यधिक हिस्सेदारी वाले राज्यों ने महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई के माध्यम से काफी अधिक रोजगार सृजन किया है, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और श्रम बल भागीदारी को बढ़ाने में लक्षित वित्तीय समावेशन को मजबूत करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार यह योजना महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को वित्त तक पहुंच प्रदान करने में सहायक रही है।

आत्मनिर्भर भारत की एक सुदृढ़ नींव के शिल्पकार 'महिला स्वयं सहायता समूह' भी हैं, जिनकी प्रधानमंत्री ने लाल किले से प्रशंसा करते हुए कहा, 'पिछले 10 साल में 'महिला स्वयं सहायता समूह' ने कमाल करके दिखाया है। आज उनके प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में जाने लगे हैं।' स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर भारत का नवीन कथानक लिख रहे हैं। 31 जनवरी 2025 तक लगभग 10.05 करोड़ महिला परिवारों को 90.90 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल किया गया है। स्वयं सहायता समूह आमतौर पर समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाली 10–12 महिलाओं का एक समुदाय होता है। एसएचजी से जुड़ी महिलाएं संयुक्त आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए अपने वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करने या सदस्यों को छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण देने के लिए संगठन बनाती हैं। भारत के स्वयं सहायता समूहों को सामूहिक रूप से दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोफाइनेंस परियोजना माना जाता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार स्वयं सहायता समूह की बैंक पुनर्भुगतान दर 96 प्रतिशत से अधिक है, जो उनके ऋण अनुशासन और विश्वसनीयता को रेखांकित करती है।

प्रधानमंत्री ने 'नमो ड्रोन दीदी नारी शक्ति योजना' का भी उल्लेख किया। 15 अगस्त 2023 को प्रारंभ की गई नमो ड्रोन दीदी योजना स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कृषि में ड्रोन के उपयोग के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी (आठ लाख रुपये तक) और प्रशिक्षण प्रदान करके सशक्त बनाती है, जिससे उनकी आय सालाना एक लाख रुपये से अधिक तक बढ़ जाती है, टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलता है और ग्रामीण रोजगार एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। इस योजना का उद्देश्य 2024–25 से 2025–26 की अवधि के दौरान 15000 चुनिंदा महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करना है, ताकि कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए की सेवाएं प्रदान की जा सकें। लीक से हटकर करने की चाह को जब सरकारी संरक्षण और प्रोत्साहन प्राप्त हो तो महिलाओं को सशक्त और संबल होने से कोई नहीं रोक सकता। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत देश भर में महिला सशक्तिकरण परियोजना चल रही है। इस परियोजना के अंतर्गत महिला किसानों को कृषि के आधुनिक तौर–तरीके सिखाए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की परिणति 'देसी कोल्ड स्टोर' है, जो झारखंड की महिला किसान बांस से बना रही हैं। इसकी लागत पंद्रह सौ से दो हजार रुपये आती है और इससे छह महीने तक आलू खराब नहीं होते। महिलाओं के उत्थान में स्थानीय समुदायों और राष्ट्र को समग्र रूप से बदलने की क्षमता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राजग सांसदों से स्वदेशी मेला आयोजित करने का आग्रह किया, ताकि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके और इसे एक जन आंदोलन बनाया जा सके। उन्होंने जोर दिया कि आत्मनिर्भरता ही भारत की प्रगति का मार्ग है, खासकर ऐसे समय में जब हमारी बढ़ती ताकत को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने 'भारत में निर्मित' उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, तो कुछ चुनौतियां आएंगी। इसे विकसित राष्ट्र बनने के लिए आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। उन्होंने 'स्वदेशी' की बात फिर से दोहराई है। हालांकि, वह लंबे समय से इस पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने सांसदों से भारत में निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने का आग्रह किया एवं कहा कि लोगों को मेड इन इंडिया उत्पादों पर उतना

ही गर्व होना चाहिए, जितना वे कभी जापानी वस्तुओं पर महसूस करते थे।

जीएसटी दरों में बदलाव के इस फैसले से दैनिक उपयोग की वस्तुएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से जुड़े उत्पाद व सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। हालांकि, इसके कारण सरकार को 47,000 करोड़ रुपये की राजस्व–हानि का भी अनुमान है, लेकिन इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं और व्यवसायों को राहत मिलेगी, बल्कि भारत की आर्थिक नीतियों और संघीय संरचना को भी एक सशक्त दिशा मिलेगी। साल 2017 में लागू जीएसटी के अनुपालन में कारोबारियों को मुश्किलें पेश आ रही थीं, साथ ही उपभाक्ताओं को भी अधिक दाम चुकाने पड़ रहे थे। नई व्यवस्था इस दिशा में एक साहसिक और स्वागत योग्य सुधार है। ये सुधार निम्न और मध्यम वर्ग के लिए विशेष रूप से लाभकारी होंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इस सुधार के फायदे स्पष्ट और दूरगामी हैं। रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुओं पर कर घटने से परिवारों का बजट हल्का होगा और खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगेगा। स्वास्थ्य व जीवन बीमा पर जीएसटी शून्य होने से बीमा योजनाएं सस्ती होंगी और अधिक से अधिक लोग स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ उठा सकेंगे। जीएसटी सुधार से शिक्षा भी सस्ती और समावेशी बनेगी, जिससे गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर अवसर मिल सकेंगे। इससे किसानों की लागत भी घटेगी, क्योंकि टिकाऊ खेती और जल–संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर, यह एक दूरदर्शी कदम है।

भारत सरकार के पूर्व संयुक्त सचिव श्री प्रेमपाल शर्मा के अनुसार जीएसटी में सुधार और कुछ नीतियों में बदलाव किए गए हैं, ताकि भारतीय नागरिक अपने देश की वस्तुओं को प्राथमिकता दें, लेकिन इस 'स्वदेशी राग' में शिक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी का महत्व, जैसे कि मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य विषयों की पढ़ाई के लिए अपने देश के विश्वविद्यालयों को ही चुनने की बात कहीं नहीं उठाई जा रही है। यह सच है कि आजादी के बाद भी बच्चे विदेश पढ़ने जाते थे, लेकिन तब हमारे पास विश्वविद्यालयों की संख्या इतनी नहीं थी। वर्तमान में जब हमारे पास लगभग 1000 विश्वविद्यालय और हजारों निजी एवं सरकारी कालेज हैं, तब विदेश पढ़ने जाने के कारण क्या हैं? इसका एक बड़ा कारण यह है कि आज अधिकांश राजनेता, नौकरशाह और विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक, जो थोड़े बहुत अमीर हैं, उन्होंने अपने बच्चों को विदेश भेजने का आसान विकल्प चुन लिया है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच वर्षों में विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है। एक अनुमान के अनुसार, लगभग 15 लाख छात्र विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें सबसे अधिक अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में हैं। भारतीय छात्रों की विदेश में पढ़ाई की चाहत को देखते हुए यूरोप, सिंगापुर और अन्य देशों ने भी विभिन्न प्रलोभन नीतियां अपनाई हैं।

एक ओर देश में युवा मेडिकल की पढ़ाई के लिए भटक रहे हैं, दूसरी ओर लाखों गांव–कस्बे अच्छे डाक्टरों की तलाश में हैं। भारतीय छात्र लगभग 90 से अधिक देशों में डाक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। इस बीच आईआईटी की संख्या बढ़कर 23 हो गई है, लेकिन सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इनमें लगभग 50 प्रतिशत फैकल्टी की सीटें खाली हैं और शिक्षकों की कमी के कारण ये संस्थान अस्थायी शिक्षकों पर निर्भर हैं। इसके चलते शिक्षा, पाठ्यक्रम और शोध में गिरावट आई है, जिससे मेधावी छात्र विदेश जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय दुनिया की रैंकिंग में गिरते जा रहे हैं। पिछले वर्षों में इन्हीं चुनौतियों से जूझते–हारते बच्चे आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों में आत्महत्या की घटनाएं दिल दहला देती हैं।

वर्तमान केंद्र सरकार ने भारतीय भाषाओं के पक्ष में अच्छा काम किया है, लेकिन शोध और अन्य नवीन वैज्ञानिक पहलुओं पर अपेक्षित परिणाम आने बाकी हैं। यह देश का सौभाग्य है कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, और उनकी मेहनत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। ये युवा बदलाव तभी लाएंगे जब उन्हें सही दिशा मिले। इसके लिए हमें शिक्षा में भी स्वदेशी का प्रण लेना होगा। शिक्षा दुनिया और समाज में परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार है।

यदि हम शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हर क्षेत्र में स्वदेशी का महत्व बढ़ेगा।

आत्मनिर्भर भारत में अनुसंधान और विकास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश को विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने, स्वदेशी समाधान विकसित करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करता है। इस दिशा में भारत सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं, जिनमें अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना और अटल इनोवेशन मिशन शामिल हैं, जो निजी क्षेत्र की भागीदारी और डीप–टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के साथ ही देश तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहा है। इस योजना का मुख्य

उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में दीर्घकालिक, उच्च जोखिम वाले और अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रेरणा मिले और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप स्वदेशी नवाचार को जमीन पर उतारा जा सके।

भारत में आज तक अनुसंधान और नवाचार का अधिकांश भार सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों और विश्वविद्यालयों पर रहा है। देश का कुल अनुसंधान व्यय आज भी सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.6 प्रतिशत से 0.7 प्रतिशत है, जो समय की मांग के हिसाब से कम है। सरकार की यह नई योजना इस असंतुलन को दूर करने का प्रयास है, ताकि निजी पूंजी को अनुसंधान के क्षेत्र में खींचा जा सके और तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूती मिले। यह योजना प्राथमिकता आधारित क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, अर्धचालक फार्मास्युटिकल्स, अंतरिक्ष विज्ञान और जलवायु परिवर्तन से जुड़े समाधान प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों में न केवल भारत की रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़ी संभावनाएं छिपी हैं, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का भी अवसर है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन और डिजिटल साइंस पार्क जैसी पहलों के साथ भी जुड़ती है, जो समेकित रूप से भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। इस योजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि यह देश में अनुसंधान के लिए आवश्यक 'रिस्क कैपिटल' के अभाव को दूर करने का प्रयास कर रही है।

इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मोदी सरकार अनुसंधान–समर्थक पारिस्थितिकी तंत्र भी समानांतर रूप से विकसित करने की कोशिश कर रही है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली प्रयोगशालाएं, अनुभवी वैज्ञानिकों की उपलब्धता, विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच सहयोग, नवाचारों के पेटेंट और व्यावसायीकरण की प्रणाली और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा जैसे पहलू अहम होंगे। यह योजना भारत को तकनीकी निर्भरता से मुक्त कर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाली ऐतिहासिक पहल सिद्ध हो सकती है। यह योजना सिर्फ एक वित्तीय घोषणा नहीं है, बल्कि भारत के नवाचार युग का आरंभ है, जो देश को 'विकसित भारत 2047' की ओर सशक्त कदमों से ले जाने का माध्यम बन सकती है।

अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की नीति आयोग के तहत एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है, जो स्कूली छात्रों से लेकर उद्योगों तक एक सतत नवाचार श्रृंखला बनाता है, जिसमें प्रमुख कार्यक्रम जैसे अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इनक्यूबेशन सेंटर और अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शामिल हैं, जो जमीनी स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए छात्रों और नवप्रवर्तकों को सशक्त बनाते हैं। यह मिशन भारत को एक अभिनव और उद्यमी राष्ट्र बनाने के लिए स्कूली शिक्षा से लेकर स्थानीय समुदायों तक, हर स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने का एक व्यापक प्रयास है, जो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

अगर भारत को सही अर्थों में आत्मनिर्भर बनाना है और विश्व को अपने पर निर्भर बनाना है तो यह देखना होगा कि आज से दस–बीस साल बाद दुनिया की आवश्यकता क्या होगी और उन तकनीकों पर अभी से अनुसंधान और निवेश करना होगा, ताकि समय आने पर ऐसी सामरिक तकनीकी हम विश्व बाजार को दे सकें और उसे अपने पर निर्भर बना सकें। अमरीका तथा चीन इसी के सहारे महाशक्ति बने हैं।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

प्रेरक प्रसंगः दिव्यांगों को राह दिखाती दार्जिलिंग की एक बेटी*

'कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमीं तो कहीं आसमाँ नहीं मिलता', निदा फाजली की यह एक बहुत मशहूर और प्रासंगिक पंक्ति है, जो मनुष्य के जीवन की अधूरी ख्वाहिशों और अपूर्णता को दर्शाती है। मगर रूपमणि छेत्री की चमकती निगाहें बोलती हैं, तमाम कमियों और क्षुद्रताओं के बावजूद यह जहाँ बहुत खूबसूरत है! रूपमणि छेत्री, यानी हिन्दुस्तान की ऐसी पहली मूक–बधिर महिला, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने अपना वॉलंटियर नियुक्त किया था और जो अब अपने उद्यम से हजारों दिव्यांगों को सशक्त बना रही हैं।

आज से करीब 38 साल पहले नेपाल के एक गाँव में पैदा रूपमणि जन्म से दिव्यांग थीं। वह सुन–बोल नहीं सकती थीं। रूपमणि छह माह की थीं, जब उनका परिवार दार्जिलिंग आ बसा। पिता वहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। बचपन में रूपमणि को अजीब लगता था कि परिवार के अन्य लोग एक–दूसरे से खूब बतियाते हैं, साथ–साथ कहकहे लगाते हैं, मगर कभी रूपमणि को उन कहकहों का हिस्सा नहीं बनाते हैं। माता–पिता उनकी बुनियादी जरूरतों का जरूर ख्याल रखते। यह सोचकर कि अक्षर–ज्ञान से बेटी की जिंदगी की दुश्वारियाँ

शायद कुछ कम हो जाएंगी, उन्होंने रूपमणि का दाखिला स्थानीय स्कूल में करा दिया था, मगर वहाँ के शिक्षक संकेत भाषा से अनभिज्ञ थे। इस कारण रूपमणि को प्रारंभिक शिक्षा पाने में काफी परेशानी हुई। अपनी बात शिक्षकों को न समझा पाने के कारण वह कई बार उनकी पिटाई का शिकार बनीं।

प्राथमिक विद्यालय के बाद घूम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में रूपमणि को दाखिला मिला। मगर उस पूरे स्कूल में वह इकलौती मूक–बधिर बच्ची थीं। लिहाजा लोग उन पर हंसते, उनके इशारों को पागलपन समझते। वह तड़पकर रह जातीं। नाते–रिश्तेदार भी माता–पिता को ताने देते, गूंगी–बहरी लड़की पढ़कर क्या करेगी ? इसे बस घरदारी सिखाओ ताकि किसी घर में इसका गुजर–बसर हो सके। अपनी सोच और हैसियत के हिसाब से माता–पिता ने काफी प्रयास किया कि बेटी किसी तरह ठीक हो जाए। किसी ने पादरी के पास भेजा, तो वे वहाँ उन्हें लेकर गए, किसी ने टोटकेबाज बाबाओं की शरण में जाने को कहा, तो उन्होंने उनके दर की खाक भी छानी। मगर इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ना था, तो नहीं पड़ा। रूपमणि अलगाव की और शिकार होती गईं। वह बस पढ़ना चाहती थीं, मगर उस जमाने में एक गार्ड की तनख्वाह ही क्या थी? पिता के पास फीस चुकाने तक के पैसे नहीं बचते थे। लिहाजा, दस साल की उम्र से ही रूपमणि को आस–पास के निर्माण स्थलों पर काम करना पड़ा, ताकि वह अपने स्कूल के खर्च लायक पैसे जुटा सकें। किसी तरह वह नौवीं जमात तक पढ़ सकीं।

रूपमणि को लगा कि इस संघर्षपूर्ण जीवन से छुटकारे का अब एक ही रास्ता है – विवाह। संयोगवश दिल्ली में रहने वाले एक बधिर लड़के से उनकी शादी हो गई और वे दोनों दिल्ली आ गए। मगर दिल्ली आकर रूपमणि को महसूस हुआ कि वह तो और अलग–थलग पड़ गई हैं, जबकि यहाँ संकेत भाषा में बातें करने वाले काफी लोग रहते हैं और दिव्यांगों के लिए कई अच्छे शिक्षण संस्थान भी हैं। दरअसल, रूपमणि के पति को बिल्कुल पसंद न था कि वह किसी और से किसी किस्म का संवाद करे। घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाओं ने उन्हें शादी के बंधन से बाहर निकलने को प्रेरित किया। मगर घरवालों ने रूपमणि का साथ देने से इनकार कर दिया।

दिल्ली में मूक–बधिरों से छिटपुट संवादों और दिव्यांगों से जुड़ी संभावनाओं ने रूपमणि में एक आत्मविश्वास पैदा किया। साल 2011 में तलाक लेकर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। बोर्ड की परीक्षा पास करने के बाद रूपमणि ने समाजशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने यह देखा कि

बधिर समुदाय के लोग संकेत–भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मगर वे रूपमणि से संवाद नहीं करते थे क्योंकि वह उस भाषा को नहीं जानती थीं। तब नौएडा डेफ सोसायटी (एनडीएस) व 'द वे डेफ' जैसी दीगर संस्थाओं और उनके संसाधनों का उन्हें बड़ा सहारा मिला।

कहते हैं, जब इंसान में कुछ करने की लगन पैदा हो जाती है, तो सारे ग्रह–नक्षत्र उसकी मदद करने को सक्रिय हो उठते हैं। रूपमणि की मदद के लिए दिल्ली में 'नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेफ' (एनएडी) की गीता शर्मा और 'नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपुल' (एनसीपीईडीपी) के जावेद आबिदी जैसे लोग मौजूद थे। उन्होंने आगे की राह समतल करने में मदद की। एनएडी के साथ कुछ दिनों तक काम करने के बाद रूपमणि बच्चों के लिए काम करने वाले एक गैर–लाभकारी संगठन 'हक' से जुड़ गईं। इससे वह वर्षों तक जुडी रहीं और फिर 2017 में वह दिन आया जब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत उन्हें यूरोप में काम करने का अवसर मिल गया।

रूपमणि ने संयुक्त राष्ट्र की कई संस्थाओं के साथ मिलकर यूक्रेन के मूक–बधिरों के बीच करीब डेढ़ वर्ष तक काम किया। उसके अलावा वह जर्मनी में भी सक्रिय रहीं। यूरोप से लौटने के बाद उनके दिमाग में एक विचार शिद्दत से उभरा कि तकनीक की मदद से यदि संकेत भाषा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुलभ कराया जाए, तो देश के लाखों मूक–बधिरों की जिंदगी बदल सकती है। संयोग से हमख्याल तरुण सरवाल से मुलाकात हुई। दोनों ने मिलकर अपने स्टार्टअप 'साइनएबल' एप की शुरुआत की, जो आज 13 भाषाओं में इस समुदाय के लोगों के बीच संवाद कायम करके उनकी जिंदगी को खुशियों से भर रहा है। निदा साहब ने कहा था –जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है/जुबाँ मिली है, मगर हमजुबाँ नहीं मिलता। रूपमणि आज हजारों की हमजुबाँ बन गई हैं।

मेरा भी है अधिकार

बीरेन्द्र सिंह रावत*

करवाती है माँ लिंग–परीक्षण, जानूँ बेटा है या बेटी,
पसंद का अगर न हुआ भ्रूण, तो कर देती है नजर टेढ़ी।

फिर सोचती नहीं इक पल भी, कर रही हूँ कितना अनर्थ,
कुरीतियों से बंधे रहकर, भ्रूण हत्या करने का क्या है अर्थ।

हे माँ! यदि सुविधा के लिए, लिंग परीक्षण तेरा है अधिकार,
तो गर्भ में पल रहा भ्रूण मैं, जन्म लेना मेरा भी है अधिकार।

कूड़ा बीनते–बीनते देखते हम, हमउम्र बच्चों को थामे बैग,
वे जाएँ हँसी–खुशी स्कूल अपने, और हम चुनते रहते हैं रैग।

वे सीखें क, ख, ग; ए, बी, सी, कई तरह के नवाचारों से,
कूड़ा करते साफ हम अरु, क्षुब्ध होते समाज के अत्याचारों से।

सरकार द्वारा जब बनाया गया है शिक्षा का अधिकार,
तो अन्य सब बच्चों की तरह, शिक्षा पाना मेरा भी है अधिकार।

भेद न किया जब प्रभु ने कभी, दिये सबको समान अंग,
फिर क्यों समाज है निर्दयी कि, ढूँढता है जाति, धर्म अरु रंग।

ऊँच–नीच की लड़ाई की, भेंट चढ़ता है भोला बचपन,
विभिन्न तरह के अत्याचारों से, दुश्वार होता जाता है जीवन।

संविधान द्वारा जब दिया गया, है समता का अधिकार,
तो लोक नियोजन में अवसर की समता मेरा भी है अधिकार।

भारतीय संविधान का 23 है, एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद,
मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, का करता है यह प्रतिषेध।

होश संभालते ही सामना, करते हैं हम हर शोषण का,
तंगहाली होती ही इतनी है कि, ख्याल न हो पाता पोषण का।

प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, दिया गया है अधिकार,
तो आदर्श समाज में सभ्य जीवन, जीना मेरा भी है अधिकार।

*वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत निकाय)

सैक्टर 24, नौएडा–201 301

उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइट: www.vvgnli.gov.in